हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 2018

संख्या 2/4/2017–आर–II हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियां, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392–छ के खण्ड (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 394 के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रारूप के संम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किया जाए, विचार करेगी।

प्रारूप उप–विधियां

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1(1) ये उप–विधियां हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियां, 2018, कही जा सकती हैं।

(2) ये उप–विधियां राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2(1) इन उप–विधियों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16);

(ii) **'अभिस्वीकृति ओ.एम.डी'** से अभिप्राय है, बाहरी मीडिया यन्त्र, जो ऐसी सरंचना के प्रबन्ध या रख–रखाव के बदले में सड़क बिन्दु अथवा राउण्डअबाउट पर विज्ञापन का प्रदर्शन करने के लिए अभिकरण को स्वीकृति देता है;

(iii) **"विज्ञापन"** से अभिप्राय है, बहिष्कृत मीडिया के अध्यधीन नियन्त्रित क्षेत्र में मीडिया यन्त्र पर प्रदर्शित तथा भूमि के किसी स्थान, भवन, आकाशी क्षेत्र, जल से जन साधारण को दृष्टिगोचर तथा/या सर्वाजनिक स्थान या सर्वाजनिक गली से दृष्टिगोचर कोई शब्द, या उसका संकेत–चिह्न, अक्षर, लोगो, प्रतीक, संकेत, अंक, चित्र, ड्राईंग द्वारा कोई प्रदर्शन या अन्य सचित्र प्रदर्शन या प्रकाश या ध्वनि;

(iv) **"विज्ञाप्ति"** से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने का कार्य या प्रक्रिया;

(v) **"अभिकरण"** से अभिप्राय है, कोई आवेदक जो नगर क्षेत्र के भीतर विज्ञापन का प्रदर्शन करने के इरादे से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कोई रजिस्टर्ड धमार्थ संगठन, फर्म, साझेदारी या कोई निगमित कम्पनी;

(vi) **"सूचना पट्ट/होर्डिंग"** से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन पट्ट के रूप में विज्ञापन के लिए स्पेस सहित बाहरी मीडिया यन्त्र तथा जहां ऐसा पट्ट या तो भूमि या भवन पर किसी संरचना पर उसके आधार सहित तैयार किया गया है;

(vii) **"भवन लाइन"** से अभिप्राय है, लाइन जिस तक किसी भवन की कुरसी विधिवतः उस तरफ बढ़ाई जा सकती है, जो गली या गली का विस्तार या के साथ लगती गली के आगामी निर्माण के लिए आबंटित (ईयरमार्क) या आरक्षित भूमि की पट्टी के साथ लगती है तथा ऐसी लाइन, अधिकारिता या शक्ति रखने वाले सरकारी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या समन्वय योजना या स्कीम में वर्णित है;

(viii) **"वाहन मार्ग"** से अभिप्राय है, पक्के भाग में आने वाली सड़क की चौड़ाई;

(ix) **"वाणिज्यिक भवन"** से अभिप्राय है, कारबार, व्यापार या वाणिज्य के लिए पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त या निर्मित या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिगृहित या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित कोई भवन;

(x) **"नियन्त्रित क्षेत्र"** से अभिप्राय है, नगर क्षेत्र की अधिकारिता में आकाशी क्षेत्र सहित भौगोलिक क्षेत्र;

(xi) **"प्रदर्शन"** से अभिप्राय है, स्पेस, जिस पर विज्ञापन लगाया गया है, को ध्यान में रखे बिना जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन;

(xii) **"गॅत्री"** से अभिप्राय है, सड़क के आर–पार तथा सामान्यतः विज्ञापन सहित सड़क के आर पार पिलरों के सिरों को जोड़ने वाले बीम (शहतीर) के रूप के अनुभाग सहित सड़क की दोनों तरफ स्थिर धातु अनुभाग का बना हुआ पिलर;

(xiii) **"गॅत्री विज्ञापन"** से अभिप्राय है, यातायात के परिचालन के विपरीत अग्रभाग पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करने वाली गॅत्री;

(xiv) **'ग्राउन्ड ओ.एम.डी'** से अभिप्राय होगा, स्वतः विज्ञापन के प्रयोजन के लिए, किसी भवन, अस्थाई संरचना पर निर्मित, भूमि पर लगी/जड़ित की गई स्क्रीन या घेरे से असम्बद्व तथा जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;

(xv) **"भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी)"** से अभिप्राय है, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा, समय–समय पर बनाई गई संहिता, विनियम तथा जारी किये गये निर्देश;

(xvi) **"हितबद्ध पक्षकार"** से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जिसने इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी या कोई आक्षेप या कोई शिकायत प्रस्तुत की है या प्रतिवेदन किया है;

(xvii) **"चौराहा"** से अभिप्राय है, उसी स्तर का संयोजन जहां दो या उससे अधिक सड़कें या तो मिलती है या पारगमन (क्रासिंग) करती हैं;

(xviii) **"इलैक्ट्रोनिक होर्डिंग"** से अभिप्राय है, कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा साफ्टवेयर या किसी अन्य साधन से लगातार विषय प्रदर्शन करने, प्रदर्शन तथा सूचनात्मक संदेश के लिए एल.ई.डी (लाईट ऐमीटिंग डाईओड) या एल.सी.डी (लीकवीड क्रीस्टल डीस्पले) या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक से प्रदर्शन करने वाला कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;

(xix) **"शमियाना ओ.एम.डी"** से अभिप्राय है, किसी शमियाना छतरी से या भवन से प्रक्षेपी तथा द्वारा समर्थित अन्य कवरड सरंचना से सलंग्न या से लटका हुआ कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;

(xx) **"भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या (एन.बी.सी)"** से अभिप्राय है, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम;

(xxi) **"ओ.एम.डी"** से अभिप्राय है, उप–विधि 14 में यथा उपवर्णित बाहरी मीड़िया यन्त्र;

(xxii) **"स्वामी"** से अभिप्राय है, सम्पत्ति का स्वामी तथा इसमें हरियाणा कक्ष–समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का 10) के अधीन स्वामियों को संगम भी शामिल है;

(xxiii) **"अनुज्ञा फीस"** से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 122 के अधिन निगम द्वारा उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस;

(xxiv) **"सम्पत्ति"** से अभिप्राय है, नगर निगम की सीमाओं में कोई भूमि या भवन या उसका कोई भाग;

(xxv) **"सार्वजनिक भवन"** से अभिप्राय है, बिना प्रभार या प्रभार के भुगतान पर सामान्य जनसाधारण की पहुॅच में कोई भवन तथा इसमें सार्वजनिक पूजा, थिएटर, होस्टल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक हाल, सार्वजनिक मेल कक्ष, सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष, सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल के रूप में या लोगों के एकत्र होने के स्थान या यदा–कदा किसी समरूप प्रयोजन के स्थान के रूप में या तो साधारणत या समय–समय पर प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए निर्मित या अंगीकृत कोई भवन;

(xxvi) **"रजिस्टर्ड अभिकरण"** से अभिप्राय है, उप–विधि 4 के खण्ड (3) के अधीन नगर निगम में रजिस्टर्ड कोई अभिकरण;

(xxvii) **"रास्ता अधिकार (आर ओ डब्लयू)"** से अभिप्राय है, कुल भूमि की चौड़ाई, सड़क के लिए आवश्यक (वाहन मार्ग और कंधों), साइड नालियों, सर्विस सड़कों, वृक्षारोपण, उपयोगिताओं, आदि को समायोजित करने के लिए, संबंधित प्राधिकरण के स्वामित्व वाली सड़क;

(xxviii) **"सड़क यातायात चिह्न"** से अभिप्राय है, सड़क के उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु कोई संकेत तथा इसमें कानून में या आई आर सी द्वारा यथा अपेक्षित यातायात संकेत शामिल है;

(xxix) **"स्वतः विज्ञापन"** से अभिप्राय है, उप–विधि 11 के निबन्धनों में प्रदर्शित विज्ञापन;

(xxx) **"सर्विस लेन"** से अभिप्राय है, मुख्य परिवहन मार्ग के साथ कोई सड़क तथा वाहनों के संचालन के लिए प्रयुक्त कोई सड़क;

(xxxi) **"मार्ग फर्नीचर विज्ञापन"** से अभिप्राय है, किसी सार्वजनिक सुविधा या संरचना पर प्रदर्शित विज्ञापन जो मुख्यतः विज्ञापन के लिए आशयित नहीं है तथा इसमें या तो प्रत्यक्षतः चिपकाया हुआ/जोड़ा हुआ या पैनल (पटरी) के रूप में विज्ञापन सहित ऐसे मार्ग फर्नीचर की कार्यात्मक अपेक्षा के काम करने वाले उपयुक्त आकार तथा रूप के बैठने के लिए बैंच, पौधा बाक्स, पट्री कूड़ा–कचरा धानी, खम्बे से बंधी कूड़ा–कचरा धानी, सार्वजनिक परिवहन आश्रय, पटरी क्लाक, उपनगरीय नाम यन्त्र तथा मार्ग नाम, पेयजल स्रोत इत्यादि शामिल है;

(xxxii) **"संरचनात्मक इंजीनियर"** से अभिप्राय है, व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का सिविल इंजीनियर में स्नातक है या सरंचनात्मक डिजाईन संरचना तथा सम्बन्धित क्षेत्र के कार्य में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित भारतीय इंजीनियर संस्था के सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन का कारपोरेट सदस्य है;

(xxxiii) **"संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र"** से अभिप्राय है, संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र;

(xxxiv) **"तीसरा पक्ष विज्ञापन चिह्न"** से अभिप्राय है, स्वतः विज्ञापन से भिन्न कोई ओ.एम.डी;

(xxxv) **"अस्थाई विज्ञापन"** से अभिप्राय है, मनोरंजन कार्यक्रम, उत्सव, मेला, व्यापार मेला, सम्मेलन, सड़क प्रदर्शन तथा जो अधिकतम तीस दिन की अवधि से अधिक न हो सहित किसी आगामी कार्यक्रम की अवधि से ठीक पूर्व तथा के लिए स्वंय विज्ञापन, प्रदर्शित से भिन्न कोई ओ.एम.डी;

(xxxvi) **"ट्रेलर विज्ञापन"** से अभिप्राय है, किसी ट्रेलर, बाईसाईकिल या वाहन पर बंधा हुआ कोई ओ.एम.डी,

जो स्थिर है या केवल विज्ञापन के प्रयोजन से चलता है;

(xxxvii) **"अप्राधिकृत प्रभार"** से अभिप्राय है,ओ.एम.डी के अप्राधिकृत प्रदर्शन तथा उप–विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नगर निगम द्वारा उद्गृहित प्रभार;

(xxxviii) **"यूनिपोल"** से अभिप्राय है,किसी विज्ञापन पैनल के रूप में विज्ञापन के लिए विशाल स्थान सहित तथा जहां ऐसा पैनल भूमि पर इसके आधार सहित किसी एकल स्तम्भ पर आरूढ है सहित कोई ओ.एम.डी;

(xxxix) **"शहरी डिजाइन"** से अभिप्राय है, भवन, सड़क के बीच तथा आसपास शहरी स्थान की विशेष तथा सौन्दर्यपरक विशेषता को प्रकट करने तथा नियन्त्रित करने की कार्रवाई जिसमें भौतिक घटक जो भवन दिखावट तथा अन्य संरचना का मार्गस्केप तथा संयुक्त दृश्य प्रभाव को संघटित करना शामिल है;

(xl) **"दीवार आच्छादन"** से अभिप्राय है, किसी भवन या रंग बिरंगी रंगी हुई दीवार या एल्यूमिनियम मिश्रित पैनल जिसके अग्रभाग का प्रयोग वास्तु आकृति के रूप में किया गया है या भवन की दीवार के रूप में प्रयुक्त सहित किसी अन्य सामग्री से कवरेज दीवार के बाहरी हिस्से पर चिपकाया गया विज्ञापन।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन।

3 (1) नगर क्षेत्र के भीतर ओ.एम.डी प्रदर्शित करने का इरादा करने वाला अभिकरण **अनुबन्ध–1** में यथा अधिकथित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से निगम में रजिस्टर होगी।

(2) **खण्ड (1)** के अधीन अभिकरण द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन ऐसी अभिकरण के रजिस्ट्रेशन की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा।

(3) अभिकरण ऐसी रजिस्टरेशन फीस जमा करवाएगा जो सरकार, समय–समय पर, साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) **अनुसूची–1** में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर प्रदर्शन का इरादा रखने वाले कोई व्यक्ति को, स्वतः विज्ञापन के प्रयोजन के लिए निगम में रजिस्टर करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है।

(5) एकल स्वामी को उसकी सम्पति तृतीय पक्षकार के विज्ञापन को स्थापित करने के लिए रजिस्टर्ड नही किया जाएगा। तथापि उसे ओ.एम.डी के लिए फीस के भुगतान के अध्यधीन अपनी सम्पति पर स्वतः विज्ञापन लगाने के लिए अनुमत किया गया है यदि वह **अनुसूची–1** में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर है।

(6) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कम्पनी तथा जन उपयोगिताओं, पार्कों, हरित स्थानों, यातायात, संकेत या जनसाधारण के लाभ के लिए कोई अन्य सेवा तथा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी (सी एस आर) निधियों के माध्यम से लोकहित में विकास तथा रखरखाव के परिणामस्वरूप स्वीकृति ओ.एम.डी स्थापित करने की ईच्छुक कम्पनी को **अनुबन्ध–1** में यथा अधिकथित ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा निगम में रजिस्टर कराना अपेक्षित है।

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया।

4 (1) निगम, किसी अभिकरण को रजिस्टर से इन्कार करेगा जहां,–

(i) अभिकरण, इसके किसी निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक को किसी निगम द्वारा या सरकार द्वारा या सरकार के स्वामीत्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन अभिकरण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन से विवर्जित किया गया है;

(ii) अभिकरण, इसके निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक की तरफ नगर निगम के किन्हीं देयों के भुगतान बकाया है;

(iii) अभिकरण के निदेशक या किसी कम्पनी के निदेशक को किसी निगम द्वारा या सरकार द्वारा या सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन किसी अभिकरण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन से विवर्जित किया गया है;

(iv) अभिकरण का प्राधिकृत हस्ताक्षरी निगम के किन्हीं देयों के भुगतान के बकायों के लिए किसी कम्पनी का पहले की ओर प्राधिकृत हस्ताक्षरी रहा है।

(2) निगम में रजिस्टर कराने का ईच्छुक अभिकरण निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्,–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 या केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 (2009 को केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित अभिकरण का नाम;

(ii) कम्पनी का ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;

(iii) पिछले तीन वर्षों या ऐसी समय अवधि जो अभिकरण के पास विज्ञापन कारबार में है, जो भी पहले हो, के विज्ञापन कारबार में अभिकरण का अनुभव, ब्यौरे ;

(iv) अभिकरण के निदेशक, पहचान संख्या (डी आई एन) सहित निदेशकों के नाम;

(v) अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव के ब्योरे ;

(vi) किसी निदेशक के ब्यौरे जिसकी तरफ हरियाणा की किसी नगरपालिका के किन्ही देयों के भुगतान बकाया है जब वह किसी अन्य अभिकरण में निदेशक रहा हो;

(vii) पिछले तीन वर्षों या ऐसी समय अवधि का तुलन–पत्र जिसमें अभिकरण विज्ञापन कारबार में रही है, जो भी पहले हो ;

(viii) अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए (संकल्प पारित करके) निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकार–पत्र ;

(ix) पिछले पांच वर्षों में या ऐसी समय अवधि के लिए के ब्योरे जिसमें अभिकरण किसी नगरपालिका में विज्ञापन कारबार में रहा है, जो भी पहले हो, प्राप्त विज्ञापन अधिकारों/अनुमतियाँ ऐसी समय अवधि का तुलन–पत्र जिसमें अभिकरण विज्ञापन कारबार में रही है, जो भी पहले हो;

(x) वचन कि अभिकरण, इसके निदेशकों, स्वामीयों या प्रोत्साहकों की तरफ किसी नगरपालिका के किसी देय का भुगतान बकाया नहीं है ।

टिप्पणः–केवल किसी रजिस्टर्ड अभिकरण को ही सम्बम्ध निगम की सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति पर विज्ञापन स्थलों की निविदा/ नीलामी में भाग लेने तथा में निजी भूमि/सम्पत्ति के स्वामी से संविदा करार करने के लिए अनुमत किया गया है।

(xi) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज, जो आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(3) **खण्ड (2)** में यथा उपबन्धित सूचना/दस्तावेजों सहित आवेदन की संवीक्षा करने पर, निगम सम्पूर्ण आवेदन की प्रस्तुति की तिथि से तीस दिन के भीतर इन उप–विधियों के प्रयोजन के लिए अभिकरण को रजिस्टर करेगी तथा **अनुबन्ध–2** में यथा निर्दिष्ट ऐसी अभिकरण को एकमात्र पहचान संख्या तथा रजिस्ट्रेशन पत्र जारी करेगा।

ओ.एम.डी का अनुमोदन।

5(1) किसी ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा आवेदन **अनुबन्ध–3** के निबन्धनों के अनुसार सूचना देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) जहां सम्पति का स्वामी **अनुसूची–1** में परिभाषित अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर स्वंय विज्ञापन के प्रयोजन के लिए अपनी सम्पति पर ओ.एम.डी लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे स्वामी को **उप–विधि 3 तथा 4** में विनिर्दिष्ट प्रकिया के निबन्धनों के अनुसार रजिस्टर कराना होगा तथा **अनुबन्ध–3** के निबन्धनों के अनुसार सूचना देते हुए आवेदन प्रस्तुत करते हुए ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(3) आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) प्रकिया फीस जो सरकार, समय–समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो किसी भी रीति में अप्रत्यर्पणीय तथा असमायोजनयोग्य होगी;

(ii) रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति, या सम्पत्ति जिस पर ओ.एम.डी प्रदर्शित करनी आशयित है, के लिए भुगतानयोग्य कर के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर के भुगतान के सबूत के रूप में अन्तिम रसीद;

(iii) ओ.एम.डी की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. निद्रेशांक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस मीटर के घेरे के भीतर स्थित ओ.एम.डी के सम्बन्ध में दूरी बताते हुए, अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन ड्राईंग ;

(iv) ओ.एम.डी तथा अवस्थितियों का परिमाप दर्शाने वाली सम्पूर्ण विशिष्टियां;

(v) अत्यधिक वायु स्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाले इसके आधारों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ. एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्योरे तथा समय–समय पर बनाए गए सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों का अनुपालना किया जायेगा। संरचनात्मक ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों के आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है शामिल है किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस आई.आर.सी, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) शामिल है;

(vi) यदि कोई प्रस्तावित ओ. एम. डी किसी भवन के अग्रभाग से सलंग्न किया जाता है, तथा परप्रेद्रर्शित किया जाना है, तो भवन एलीवेशन तथा मापन, और प्रस्तावित ओ. एम. डी. के विस्तृत मापन तथा अवस्थिती और प्रस्तावित ओ.क्षम.डी. के विस्तृत मापन तथा अवस्थिती और 1:1000 की या निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए भवन पर प्रत्येक विद्यमान ओ.क्षम.डी. की स्थिति दर्शाते हुए वास्तु ड्राईग;

(vii) अभिकरण तथा सम्पत्ति के स्वामी के बीच किये गये सभी निबन्धनों तथा शर्तों से युक्त संविदा दस्तावेज की प्रति, जहां सम्पति का स्वामी जहां ओ.एम.डी प्रदर्शित करनी प्रस्तावित है, वह रजिस्टर्ड अभिकरण से भिन्न है;

(viii) इस आशय का वचन पत्र कि विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए आवेदन किसी भी अदालत के आदेश के उल्लंघन में नहीं है;

(ix) कोई अन्य सूचना जो आयुक्त द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

(4) जहां सम्पत्ति का स्वामी, जहॉ सम्पत्ति पर ओ.एम.डी प्रदर्शित करनी प्रस्तावित है, वह रजिस्टर्ड अभिकरण से भिन्न है, तो ऐसी सम्पत्ति के स्वामी तथा अभिकरण के बीच किये गये संविदा दस्तावेज में खण्ड अन्तर्विष्ट होगा जहां स्वामी ऐसा दायित्व स्वीकार करता है जो ऐसी सम्पत्ति पर उत्पन्न हो, यदि अभिकरण ऐसी सम्पत्ति

पर प्रदर्शित किसी विज्ञापन के सम्बन्ध में इन उपविधियों के अधीन नगर निगम को किन्हीं देयों के भुगतान की चूक में हो तथा अधिनियम, की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति की कुर्की या विक्रय के रूप में चूक राशि की वसूली करने के लिए नगर निगम के अधिकार में हो।

आवेदनों का मूल्यांकन, तथा संवीक्षा।

6 (1) **उपविधि 5** के अधीन आवेदन का मूल्यांकन करते समय, निगम सुनिश्चित करेगा कि,–

(i) आवेदन इन उप–विधियों तथा अधिनियम के अनुपालन में है ;

(ii) आवेदन किसी न्यायालय के किसी आदेश के उल्लंघन में नहीं है ;

(iii) आवेदन पर किसी हितबद्व पक्षकार से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, आपत्ति तथा टिप्पणी विधिवत विचारी गई हैं।

(2) निगम, अपने एक मात्र विवेक से तथा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रखेगी।

(3) ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए अनुमोदन की वैधता की अवधि निम्न अनुसार होगी,–

(i) किस्म क : अधिकतम तीन वर्ष की सीमा तक सम्बन्धित सरकारी हस्ती तथा अभिकरण के बीच करार अवधि के समकक्ष ;

(ii) किस्म ख तथा किस्म ग : न्यूनतम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष;

(iii) किस्म घ : **अनुसूचि–1 के खण्ड 12** में यथा विनिर्दिष्ट;

(iv) किस्म ड़ : मामले से मामले के आधार पर;

(v) किस्म च /स्वतः विज्ञापन : **अनुसूची – 1** में बताई गई अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर विज्ञापन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं;

(vi) किस्म छः मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट, न्यूनतम तीन मास (त्रैमासिम);

(vii) किस्म ज : कम से कम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष ;

(viii) किस्म झः कम से कम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष ;

(4) निगम, संवीक्षा तथा देय प्रकिया अपनाने के बाद, **अनुबन्ध–4** के रूप में संलग्न फारमैट के अनुसार आवेदक को अस्वीकार करने या वापस करने का आशय–पत्र (एल.ओ.आई) को करते हुए, लिखित में तथा इलेक्टरोनिक रूप में, आवेदन की तिथि से तीस दिन के भीतर, अनुमोदन का अपना निर्णय सूचित करेगा।

(5) अभिकरण आशय पत्र (एल.ओ.आई) के जारी करने के सात दिन के भीतर नगर निगम को अनुज्ञा फीस भुगतान करने के लिए दायी होगी, जिसमें असफल होने पर अनुमोदन वापस लिया गया समझा जाऐगा।

(6) निगम को एल.ओ.आई. में कथित अनुज्ञा फीस तथा अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद, रजिस्टर्ड अभिकरण **अनुबन्ध 6** के फारमैट के अनुसार नगर निगम में संविदा करार करेगाः

परन्तु जहां रजिस्टर्ड अभिकरण में रजिस्टर्ड अभिकरण से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति पर ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है, तो वहां रजिस्टर्ड अभिकरण को सम्पत्ति के स्वामी के साथ किया गया संविदा करार करना होगा जिसमें इस प्रभाव का एक खण्ड शामिल होगा कि यदि आशय–पत्र में अन्तर्विष्ट अनुमोदन अवधि से अधिक समय के लिए या किसी ओ.एम.डी का प्रर्दशन जारी रहता है या किसी अन्य ओ.एम.डी. को प्रदर्शन करता है, तो उप–विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायित्व, संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से स्वामी पर होगी, तथा को अनुबंध–3 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ निगम को इसकी एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(7) **उप–विधि 6** के **खण्ड 3** में विनिर्दिष्ट किस्म तथा समय के ओ.एम.डी के लिए सभी अनुमोदन, मास, जिसमें अनुमोदन मास जिसमें **उपविधि 6** के **खण्ड 3** के अन्त में समय सीमा विनिर्दिष्ट है के अन्तिम दिन तक दिया गया है, के अनुवर्ती मास के प्रथम दिन से गिना जाएगा।

(8) सभी विद्यमान ओ.एम.डी इन उप–विधियों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर इन उप–विधियों का अनुपालन करेंगे।

अपवाद।

7 (1) उस प्रभाव की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इन उपविधियों के निबन्धनों के अनुसार प्रदान किए गए अनुमोदन से अभिप्राय है कि,–

(i) कोई व्यक्ति तत्समय लागू किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध से छूट प्राप्त है;

(ii) कोई व्यक्ति हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों, अपेक्षाओं तथा लागूकरण से छूट प्राप्त है;

(iii) ओ.एम.डी का अभिकरण इसकी बाध्यताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए छूट प्राप्त है कि ऐसा चिह्‌न बड़े स्तर पर जनता की सुरक्षा, रक्षा के लिए या जनता की शालीनता तथा नैतिकता के बचाव के लिए किसी लागू अन्य विधि के अनुसार डिजाईन, निर्मित, पूरा, प्रदर्शित तथा अनुरक्षित किया गया है।

अनुमोदनों की वापसी तथा संशोधन।

8 (1) निगम प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकता है, या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी शर्त को संशोधित कर सकता है या कोई अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है, यदि आयुक्त या आयुक्त द्वारा, साधारण आदेश द्वारा, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की राय में ओ.एम.डी जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है,–

(i) ऐसे अनुमोदन के समय पर विद्यमान सड़क, किसी लोक उपयोगिता की व्यवस्था, अड़ोस–पड़ोस के पर्यावरण या सुखसाधन की प्रकृति, सड़क दृश्य या शहरी डिजाईन में किसी परिवर्तन के परिणाम के रूप में क्षेत्र, जिसमें वह स्थित है, किसी भी कारण से हानिकारक है, या हो गया है;

(ii) किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को आशंका करता है या आशंकित हो गया है ;

(iii) किसी आलोचनात्मक तथा सौन्दर्यपरक रूप से किसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता, वास्तुशिल्पीय विशेषता या नागरिक, वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक या हैरिटेज महत्व अन्धकारमय है;

(iv) इन उप–विधियां या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के निबन्धनों के अनुसार निषिद्ध है या हो गया है;

(v) या तो किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से पूर्णतया गिर गया है या उसका कोई भाग गिर गया है;

(vi) निगम के निर्देशन को छोड़कर उसमें कोई परिवर्तन किया गया है;

(vii) भवन या संरचना या सम्पत्ति को गिराया जाना या नष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है;

(viii) लोक हित, सुरक्षा, सौन्दर्य इत्यादि में आयुक्त, द्वारा, जो विनिश्चत किया जाए, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से हटाया जाना अपेक्षित हैं।

(2) **उप–विधि 8** के **खण्ड (1)** के अधीन कोई निर्णय लेन से पूर्व, निगम रजिस्टर्ड अभिकरण को निगम का आशय उसे सूचित करते हुए नोटिस जारी करेगा तथा रजिस्टर्ड अभिकरण को नोटिस की तिथि के **सात दिन** के भीतर नोटिस के उत्तर में लिखित प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा।

(3) निगम द्वारा पूर्णतः या भागतः अनुमोदन की वापसी की दशा में, रजिस्टर्ड अभिकरण को अपने जोखिम तथा लागत पर ओ.एम.डी को सात दिन के भीतर हटाना होगा या ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा निगम द्वारा निर्देशित किया जाए। यदि अनुज्ञा फीस की कोई वापसी अनुमोदन की वापसी के कारण देय है, तो अनुज्ञा फीस की बकाया राशि ऐसी वापसी के **तीस दिन** के भीतर रजिस्टर्ड अभिकरण को वापस की जाएगी।

(4) आयुक्त या आयुक्त द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी रजिस्टर्ड अभिकरण से किसी प्रतिवेदन की प्राप्ति पर अपने निर्णय के लिए लिखित में कारण देगा।

आवेदन, नवीकरण तथा मॉनीटरिंग के लिए आई टी आधारित समाधान।

9 (1) निगम ओ.एम.डी प्रदर्शन तथा मॉनीटरिंग के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रणाली अपनाएगा।

(2) **खण्ड (1)** के प्रयोजन के लिए, निगम एक अनुमोदन और निगरानी के लिए सूचना प्रोद्योगिकी आधारित प्रणाली का विकास करेगा तथा निगम प्रबन्धन या अनुरक्षण के अधीन निहित सम्पत्तियों के लिए जी.आई.एस आधारित ओ.एम.डी मास्टर प्लॉन तैयार करेगा।

(3) सभी ओ.एम.डी अपने जी.पी.एस समन्वय सहित जी.आई.एस नक्शे पर चिहिन्त करेगी तथा जनता की जानकारी के लिए निगम की वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) **खण्ड (2)** में निर्दिष्ट सूचना प्रौधोगिकी आधारित प्रणाली की विशेषता निम्न अनुसार होगी,–

(i) विज्ञापनों से सम्बन्धित उप–विधियां तथा अधिसूचनाएं निगम की वैबसाईट पर जानकारी के लिए प्रदर्शित की जाएगी;

(ii) हस्तियों के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन को समर्थ किया जाएगा तथा रजिस्टर्ड अभिकरण को एकमात्र पहचान संख्या दी जाएगी, जिसका ~~नम्बर~~ निगम के साथ सभी आगामी पत्राचार के लिए सुरक्षित पासवर्ड होगा;

(iii) सभी ओ.एम.डी, जी.आई.एस से चिन्हत की जाएंगी तथा शहर के जी.आई.एस नक्शे पर निगम की वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(iv) बाहरी मीडिया की स्थापना के लिए आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा ;

(v) प्रत्येक ओ.एम.डी स्थल के पास उसको दिया नया एकमात्र कोड होगा जो विज्ञापन के प्रदर्शन तथा किसी अन्य सूचना के लिए उसकी स्वामित्व, अवस्थिति (जी.पी.एस समन्वय), मीडिया किस्म, आकार (प्रदर्शन का क्षेत्र), भुगतानयोग्य विज्ञापन/अनुज्ञा फीस, करार की वैधता को बताएगा जो आयुक्त, की राय में संहिताबद्ध किया जाना अपेक्षित है ;

(vi) सभी ओ.एम.डी का अनुमोदन रजिस्टर्ड अभिकरणों को इलैक्ट्रोनिक रूप से भी दिया जाएगा।

ओ.एम.डी के लिए सामान्य अपेक्षाएं।

10 (1) अनुमोदन के बाद, ओ.एम.डी निगम के पूर्वलिखित अनुमोदन के बिना परिवर्तित, हटाई, पुनर्निमित या अपग्रेडिड (विज्ञापन की विषय–वस्तु के सम्बन्ध के सिवाए) नहीं की जाएगी।

(2) किसी ओ.एम.डी के संचालन के लिए प्रत्येक विद्युत केबल तथा विद्युत कंडक्टर से युक्त कण्डक्ट इस प्रकार रखा तथा संलग्न किया जाएगा ताकि वह सौन्दर्यपूरक हो।

(3) कोई भी ओ.एम.डी रजिस्टर्ड अभिकरण के नाम से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति धारक विद्युत वितरण कम्पनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी विद्युत आपूर्ति के साथ उप–मीटर से नहीं जोड़ा जाएगा तथा ऐसी अनुमति अनुज्ञप्ति धारक विद्युत वितरण कम्पनी के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने पर सम्बन्धित ओ.एम.डी के रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा दी जाएगी।

(4) सभी ओ.एम.डी में विद्युत कनैक्शन तथा घटक सम्बन्धित भारतीय मानक ब्यूरो बी.आई.एस, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार डिजाईन की जाएंगी वहां व्यक्तिगत या

लोक सुरक्षा या मोटर या गैर–मोटर यातायात के संचलन में कोई जोखिम न हो।

(5) जरनेटर, जो पैट्रोलियम ईंधन या किसी बायो–ईंधन से चलाए जा रहे है या शोर, वायु या जल प्रदूषण करते हैं, किसी ओ.एम.डी के प्रकाश के लिए विद्युत मुहैया कराने हेतु अनुज्ञात नहीं कि जाऐंगे।

(6) ओ.एम.डी का रजिस्टर्ड अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि मीडिया सहित प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की सामग्री का निपटारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) या उसके अधीन बनाए गए नियमों, नगर निगम की उप–विधियों तथा किसी अन्य लागू विधियों/नियमों/उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा।

स्वतः विज्ञापन

11 (1) नीचे **उप–खण्ड (i)** से (ix) में बताए गए प्रयोजनों के लिए ओ.एम.डी, **अनुसूची 1** में बताई गई सभी शर्तो के सम्बन्ध में इन उप–विधियों के उपबन्धों का पालन करेंगी तथा **उप–विधि 3 तथा 4** के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर करना अपेक्षित होगा; किन्तु ऐसे ओ.एम.डी को निम्नलिखित मामलों में रजिस्ट्रेशन फीस से भिन्न किसी अनुज्ञा या आवेदन फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होंगी, अर्थात्–

(i) सार्वजनिक बैठक, संसद, विधान सभा, निगम के निर्वाचन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी से सम्बन्धित; (निगम द्वारा परिलक्षित/आवंटित (ईयरमार्क) केवल प्राधिकृत स्थानों पर लगाया जा सकता है);

(ii) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है, यदि विज्ञापन उस भवन में चलाए गए व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्घित है;

(iii) भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर व्यापार, व्यवसाय या कारबार या ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी सामान के किसी विक्रय या किराए पर देने या विश्लेषण, मंनोरजन या उस पर या उसमें बैठक बुलाने से सम्बन्धित है;

(iv) भूमि या भवन, जिसके निकट या पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, के नाम से, ऐसी भूमि या भवन के रजिस्टर्ड अभिकरण या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है;

(v) रेलवे प्रशासन के कारबार से सम्बन्घित है तथा रेलवे प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है;

(vi) राज्य सरकार या भारत संघ या नगर निगम, किन्तु बोर्ड/निगमों को छोड़कर, के किसी विभाग की किसी गतिविधि से सम्बन्धित है;

(vii) सम्पत्ति, जहां कोई भवन, स्वीमिंग पूल, टैनिस कोर्ट, खंड़जा, बाड़ा या बाग का भू–दृश्य निर्माण या कोई अन्य संरचना निर्मित, परिनिर्मित, कार्यान्वित या परिवर्तित किए जाने के अनुक्रम में तथा जिस पर सम्बन्धित क्रियाकलाप वर्णित किया जाता है तथा ऐसे क्रियाकलाप से सम्बन्धित किसी वास्तुकार, ठेकेदार अथवा परामर्शदाता का नाम प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्तर्विलित उद्योग की शाखा या व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया जाता है;

(viii) स्थायी छतरी या ठेले पर फेरी वाले के लिए मीडिया यन्त्र।

निषिद्व क्षेत्र।

12 (1) इन उप–विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी ओ.एम.डी या विज्ञापन का निम्नलिखित पर/में निर्माण, अनुरक्षण या प्रदर्शन नहीं करेगा,–

(i) राष्ट्रीय पार्क, जिला वन तथा प्राकृतिक जल निकाय;

(ii) **अनुसूची–1** में कथित शर्तो को पूरा करने के अधीन, आवासीय सैक्टर;

(iii) **अनुसूची–1** में कथित शर्तो को पूरा करने के अधीन, राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजकीय राजमार्ग;

(iv) कोई दीवार पोस्टर तथा दीवार चित्र;

(v) पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय सोन्दर्यप्रद, ऐतिहासिक या घरोहर महत्व के भवन या संरचना;

(vi) पूजा या धार्मिक महत्व के स्थान;

(vii) अस्पताल तथा नर्सिंग होम; शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय;

(viii) श्मशान, कब्रिस्तान;

(ix) शेष संकटापन्न क्षेत्रीय ईको सिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र;

(x) निगम द्वारा, समय–समय पर अधिसूचित कोई भी गैर–विज्ञापन क्षेत्र; तथा

(xi) यातायात संकेत तथा सड़क चिह्न।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी प्रदर्शन, यन्त्र या संरचना जो निगम द्वारा प्रदर्शित की गई है, को विकृत नहीं करेगा या विकृत नहीं करवाएगा तथा उससे सम्बन्धित कोई भी उल्लंघन, हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) तथा अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) इन उप–विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त, निगम निम्नलिखित को दर्शाने या उपलक्षित करने वाले विज्ञापनों या ओ.एम.डी को संशोधित करने या हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगाः–

(i) नग्न्ता;

(ii) जाति, समुदाय, वंश या जातीय मतभेदों को प्रसारित करने;

(iii) स्वापक, शराब, सिगरेट या तम्बाकू वस्तुओं को बढ़ावा देने;

(iv) महिला या बच्चों के शोषण का प्रचार करने वाले;
(v) पशुओं के प्रति क्रूरता को चित्रित करने;
(vi) घटिया दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र या संस्था का चित्रण करने;
(vii) किसी ब्राण्ड या व्यक्ति की जाति निन्दा करने;
(viii) किसी कानून द्वारा निषेध;
(ix) हिंसा की महिमा करने;
(x) लॉटरी टिकटों, जुआ प्रवेशों तथा स्लॉट मशीनों को बढावा देने;
(xi) विनाशकारी यन्त्रों तथा विस्फोटकों को नियंत्रित करने वाली वस्तुओं को बढावा देने;
(xii) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54) के अधीन आने वाले हथियारों को बढावा देने;
(xiii) मानहानि कारक, व्यापार अपमानजनक, गैरकानूनी रुप से धमकी भरा या गैरकानूनी रुप से परेशान करने ;
(xiv) स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिशेद्य) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अर्थो के भीतर अश्लीलता या अश्लील साहित्य या स्त्री अशिष्ट प्रतिरुपण;
(xv) ऐसी मदों, सामान या सेवा के वर्णन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ होना या शामिल होने जो तत्समय लागू किसी विधि के अधीन निषिद्ध है, तथा इसमें शामिल है किन्तु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम 21), भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में परिसीमित नहीं हैं, तथा
(xvi) निगम द्वारा, समय–समय, पर अनुचित विचारी गई तथा इस प्रकार अधिसूचित की गई कोई अन्य वस्तु।

13 (1) निगम के प्रबंधन या रखरखाव में या उसके अधीन रखी गई संपत्ति (इसके बाद "नगरपालिका संपत्ति") पर ओएमडी को अनुमति देने के लिए और ओएमडी की मास्टर प्लान को तैयार करने या संशोधित करने के लिए नगर निगम, समय–समय पर, अपने अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों और संपत्ति की पहचान करेगा।

(2) नगर पालिका भूमि/सम्पत्तियों पर विज्ञापन प्रदर्शित की अनुमति, समय–समय पर, सरकार द्वारा जारी ई–निविदा/ई–नीलामी की पॉलिसी के अनुसार सम्पूर्ण या भाग रूप में किसी नगर/शहर के लिए ई–निविदा/ई–नीलामी आमन्त्रित करते हुए प्रदान की जाएगी।

(3) ई–निविदा/ई–नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य समिति द्वारा नियत किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता आयुक्त, द्वारा की जाएगी। समिति अन्य पैरामीटरों में से निम्नलिखित के आधार पर आरक्षित मूल्य नियत करेगी :–

(i) स्थल की अवस्थिति,
(ii) विज्ञापन बोर्ड/बैनर के आकार,
(iii) अभिभावी बाजार दर,
(iv) पिछला राजस्व संग्रहण, तथा
(v) स्थलों की संख्या।

(4) विज्ञापनों के प्रदर्शन की अवधि, उप–विधि 6 के अनुसार होगी और संविदा करार के निबन्धनों और शर्तों की चूक होने की स्थिति में सात दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(5) निगम को सरकार के सामाजिक संदेश या नीतियों, स्कीमों या प्रोग्रामों को उन्नत करने के लिए सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण, बोर्ड, निगम या सरकार के स्वामित्वाधीन और नियन्त्रणाधीन अन्य हस्ती को, होर्डिंग/विज्ञापनों का किसी भी समय प्रदर्शन करने या प्रदर्शन करने की अनुमति देने के सम्पूर्ण तथा निर्बाध अधिकार होगा। निगम, इस खण्ड के अधीन सरकार के विज्ञापनों के लिए कुल विज्ञापन स्थान के 15 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए ई–निविदा/ई–नीलामी में सफल बोलीदाता को निर्देश दे सकता है और इन सरकारी विज्ञापनों के लिए निगम द्वारा कोई भी फीस भुगतानयोग्य नहीं होगी।

(6) निगम सड़क लाईटों, सार्वजनिक शौचालयों, पेड़ गार्डों, सड़क के फर्नीचर, पानी के डिस्पेंसर्स, सार्वजनिक सूचना छतरियों आदि सहित किन्ही सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण, संचालन या रखरखाव के बदले किसी भी हस्ती को निर्दिष्ट अवधि के लिए विज्ञापन अधिकार दे सकता है और इस तरह के अधिकारों के प्रयोग में स्थापित होने वाले प्रस्तावित ओएमडी उप–विधियों के अनुसार होंगे।

(7) बी.ओ.टी व्यवस्था के मामले में, रियायतदाता/विज्ञापनदाता को प्रत्येक ओ.एम.डी को स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और लागू अनुज्ञा फीस का भी भुगतान करेगा।

(8) नगर निगम किसी भी अभिकरण को इन उप–विधियों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति ओएमडी की अनुमति दे सकता है, जो कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अधीन उपलब्ध करवाई जाने वाली विधियों सहित इसकी अपनी विधियों से हरे स्थानों, पार्कों, जल निकायों आदि सहित सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक उपयोगिता का निर्माण, संचालन या रख–रखाव का वचन देता है।

नगर निगम की सम्पत्ति पर ओ.एम.डी।

14 सरकार या निगम या कोई वैद्यानिक प्रधिकरण, बोर्ड, निगम द्वारा किसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हस्ती या सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन अन्य हस्ती को किसी अवसंरचना परियोजना (पथ प्रल को छोड़कर) के कार्यान्वयन के सौंपें गए विज्ञापन अधिकार इन उपविधियों के अनुसार अनुमत होंगे, तथा **उप–निधि 13** के **खण्ड (2)** के उपबन्ध ऐसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन की हस्ती द्वारा विज्ञापनों के प्रदर्शन को लागू नहीं होंगें।

बहरी मीडिया यन्त्र (ओ.एम.डी) के फारमेट।

15 ओ.एम.डी अनुबन्ध 5 में बताए गए ब्योरों के अनुसार तथा **अनूसूची 1** में बताई गई अनुज्ञेय विशिष्टियों तथा शर्तो सहित वर्गीकृत किए जाएंगे।

अनुज्ञा फीस।

16 (1) अधिनियम की **धारा 122** के अधिन अनुज्ञा फीस रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा ऐसी दर पर, जो सरकार, समय–समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्रैमासिक आधार पर, यदि अनुमोदन की अवधि एक वर्ष से कम है या वार्षिक आधार पर यदि अनुमोदन की अवधि एक वर्ष से अधिक है, अग्रिम में भुगतानयोग्य होगी।

(2) नगर निगम के पास आरोप्य कारणों के कारण नगर निगम द्वारा विज्ञापन को हटाने के मामले में यथानुपात राशि रजिस्टर्ड अभिकरण को वापस की जाएगी ।

(3) यदि रजिस्टर्ड अभिकरण **उप–विधि 6 के खण्ड (6)** के अधीन दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग करता है, तो निगम को भुगतान की गई अनुज्ञा फीस वापस नहीं की जाएगी।

(4) अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त, रजिस्टर्ड अभिकरण निगम को भुगतानयोग्य अनुज्ञा फीस के बराबर राशि की बैंक गारंटी अनुमोदन की त्रैमासिक अवधि के लिए मान्य अग्रिम में जमा करेगी।

(5) अनुज्ञा फीस वर्तमान ओ.एम.डी सहित सभी ओ.एम.डी पर इन उप–विधियों की अधिसूचना से तुरन्त लागू होंगी ।

(6) अनुज्ञा फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पाँच प्रतिशत तक बढाई जाएगी।

(7) सभी लागू कर रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा देय होंगे तथा भुगतानयोग्य होंगे ।

(8) निगम बाजार स्थिति के अनुसार अनुज्ञा फीस संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव, अनुज्ञा फीस के अन्तिम संशोधन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, तैयार करेगा। यदि नगर निगम पाँच वर्ष की अवधि में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने में असफल रहता है, तो सरकार अनुज्ञा फीस के अन्तिम संशोधन के पांचवें वर्ष की समाप्ति पर तुरन्त स्वप्रेरणा से संशोधन कर सकती है तथा अनुज्ञा फीस अधिसूचित कर सकती है।

(9) **उप–विधि 13 के खण्ड (8)**, के अधीन स्वीकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए अनुमत रजिस्टर्ड अभिकरणों को अनुज्ञा फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

निरीक्षण।

17 (1) आयुक्त या उस द्वारा, साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी समय ओ.एम.डी का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(2) आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय–समय पर, निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "बाहरी विज्ञापन मीडिया यन्त्र लेखा–परीक्षा प्ररूप" के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा।

ओ.एम.डी का अनुरक्षण तथा अप्राधिकृत विज्ञापनों को हटाना।

18 (1) इन उप–विधियों के उपबन्धों के अध्यधीन;–

(i) रजिस्टर्ड अभिकरण, साधन तथा आस–पड़ोस के क्षेत्र के अनुरक्षण के लिये जिम्मेवार होगा ताकि यह ऐसे स्तर तक घृणित न बने या विकृत न हो जो इन उप–विधियों के किसी उपबन्ध के विरोध में हो;

(ii) रजिस्टर्ड अभिकरण की स्वंय की सन्तुष्टि के दृष्टिगत ओ.एम.डी का निरीक्षण तीन मास में कम से कम एक बार करेगा कि यह उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है तथा ऐसे निरीक्षण पर परिणामिक कोई आव यक अनुरक्षण तुरन्त करेगा;

(iii) रजिस्टर्ड अभिकरण की गई किसी जाँच, किए गए अनुरक्षण का लिखित रिकार्ड रखेगा तथा उसका रिकार्ड सुरक्षित रखेगा तथा निगम के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर परिशोलन (पढने) के लिए उसे उपलब्ध कराएगा।

(2) रजिस्टर्ड अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि निगम द्वारा यथा अपेक्षित, निगम के अनुमोदन के ब्योरे तथा ओ.एम.डी के ब्यौरे मुहैया कराने के लिए निगम के उत्कीर्ण लोगो सहित एक धातु प्लेट (कम से कम एक फुट x एक फुट के आकार की) सभी समयों पर अच्छी स्थिति में प्रदर्शित तथा अनुरक्षित की जायेगी। ऐसा करने में असफल होने के परिणाम पर ऐसा असफलता अनुपालना प्रभार देय होगा जो निगम विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) यदि, निगम की राय में कोई ओ.एम.डी किसी खतरा–संकेत में या असुरक्षित है या मुरम्मत न होने की स्थिति में गिरने की सम्भावना है या इन उप–विधियों की किसी अपेक्षा के प्रतिकूल है, तो निगम रजिस्टर्ड अभिकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ओ.एम.डी को हटाने/ अनुरक्षण करने के लिए नोटिस की तामील करेगा तथा रजिस्टर्ड अभिकरण के लिए उसका अनुपालन करना या उचित कार्यवाही करना अपेक्षित होगा ।

(4) यदि निगम की राय है कि ओ.एम.डी किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये सन्निकट संधरित करती है, तो यह नोटिस की तामील किये बिना, या यदि ऐसा नोटिस तामील किया गया है, किन्तु उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है, ओ.एम.डी हटाएगा/अनुरक्षित करेगा।

(5) किसी ओ.एम.डी को हटाने तथा संचयन के लिये उपगत लागत, तथा **उप–विधि 18 के खण्ड (4)** में यथा अपेक्षित निगम द्वारा उपगत कोई अन्य लागत रजिस्टर्ड अभिकरण से वसूल करेगा। निगम द्वारा ओ.एम.डी रजिस्टर्ड अभिकरण के जोखिम पर हटाई जाएगी।

(6) यदि कोई ओ.एम.डी **उप–विधि 18 के खण्ड (4)** के निबन्धों के अनुसार हटाई गई है, तो निगम ओ.एम.डी को इस प्रकार हटाए जाने के बारे में रजिस्टर्ड अभिकरण को शीघ्रता से सूचित करेगा ।

(7) कोई ओ.एम.डी जो इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार हटाई गई है या संचित की गई है, ऐसी फीस/प्रभारों, जो निगम विनिर्दिष्ट करें, के भुगतान के अधीन उसे उसके रजिस्टर्ड अभिकरण को निर्मुक्त करेगा।

(8) कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन निगम द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा।

(9) प्राधिकृत ओ.एम.डी की सम्पूर्ण सूची, ब्योरेबार, जनता तथा विज्ञान कम्पनियों, अभिकरणों, द्वारा संवीक्षा के लिए उनके स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओ.एम.डी पर लगाए जा रहे है। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगी ।

प्रलेखन।

19 रजिस्टर्ड अभिकरण अर्थात् सम्पति का स्वामी या अभिकरण दोनों, जिस पर ओ.एम.डी निर्मित, संलग्न या प्रदर्शित की गई है, इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार ऐसे साधन के अनुमोदन के लिए आवेदन से सम्बन्धित सभी प्रलेखन की प्रमाणित प्रतियां जब तक रखेगा तब तक वह साधन निर्मित या प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तथा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर ऐसे प्रलेखन प्रस्तुत किए जांएगे।

हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार।

20 (1) यदि कोई लिखित टिप्पणी, प्रतिवेदन या आक्षेप, अपेक्षित किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, तो निगम आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व सभी ऐसी टिप्पणीयों, प्रतिवेदनों तथा आक्षेपों पर विचार करेगा।

(2) आवेदक, आवेदन पर किसी टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों को प्राप्त करने के बाद, चौदह दिन के भीतर विचारण के लिये निगम को लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई उत्तर चौदह दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो निगम टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों पर निर्णय टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर करेगा।

नोटिस की तामील।

21 (1) इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार या प्रयोजनों के लिए प्रदाय या दिया जाने वाला कोई नोटिस तामील किया जाना अपेक्षित है या दिया जा सकता है, तो निम्नलिखित रीति में से किसी एक में तामील किया जाएगा;–

(i) सम्बन्धित व्यक्ति/रजिस्टर्ड अभिकरण के अन्तिम ज्ञात पत्ते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या डाक प्रमाण–पत्र के अधीन नोटिस प्रति भेजते हुए तथा जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, यह समझा गया है कि तामील सातवें दिन के आगामी दिन को हो गई है, जिसको दस्तावेज भेजे गए थे;

(ii) व्यक्ति को नोटिस की प्रति फैक्स करते हुए, यदि व्यक्ति ने आयुक्त को फैक्स नम्बर लिखित में दिए हैं;

(iii) रजिस्टर्ड ई–मेल आई डी पर ई–मेल द्वारा नोटिस अग्रेशण करते हुए; तथा

(iv) रजिस्टर्ड अभिकरण के स्वामी या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की प्रति दस्ती देते हुए।

अपीलें।

22 कोई व्यक्ति, जिसके अधिकार इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार या के प्रयोजनों के लिये आयुक्त या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रभावित हुए है, तो वह उस निर्णय के विरूद्ध अपील मण्डल के मण्डल आयुक्त को कर सकता है।

अपराध तथा शस्तियां।

23 (1) जो कोई भी इन उप–विधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि निगम द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है, ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(2) **उप–विधि 4 के खण्ड (3)** के अधीन किसी रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा, अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करने की दशा में, सम्पति का स्वामी, जिस पर अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है, तथा अभिकरण **खण्ड (1)** में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से दायी होंगे।

(3) **उप–विधि 4 के खण्ड (3)** के अधीन किसी रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा प्रदर्शित अप्राधिकृत मीडिया के मामले में, सम्पति का स्वामी, जिस पर अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है तथा अभिकरण **खण्ड (1)** में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से दायी होंगे। रजिस्टर्ड अभिकरण जिसमें अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया है, निगम द्वारा डिरजिस्टर्ड किए जाने के

लिए भी दायी होगी:

परन्तु डिरजिस्टर्ड के लिए कोई कार्रवाई आयुक्त या आयुक्त द्वारा निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रजिस्टर्ड अभिकरण को केवल सुनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि रजिस्टर्ड हस्ती ऐसे उल्लंघन के नोटिस की तिथि से **पांच दिन** की अवधि के भीतर अप्राधिकृत मीडिया हटा लेती है तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार का भुगतान करती है और भविष्य में उप–विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने का वचन देती है, जो आयुक्त, सदभावपूर्वक, रजिस्टर्ड अभिकरण को अवसर प्रदान कर सकता है:

परन्तु यह और भी कि द्वितीय परन्तु के अधीन अवसर केवल एक उल्लंघन के लिए दिया जाएगा तथा **तीन वर्षों** की अवधि के भीतर किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए नहीं दिया जाएगा।

(4) यदि किसी अभिकरण का स्वामी, प्रोत्साहक या निदशक, जिसे डिरजिस्टर्ड किया गया है, किसी अन्य रजिस्टर्ड अभिकरण का स्वामी, प्रोत्साहक या निदेशक है, तो ऐसे अन्य रजिस्टर्ड अभिकरण के विरूद्ध भी डिरजिस्टर्ड की कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु डिरजिस्टर्ड के लिए कोई कार्रवाई आयुक्त या आयुक्त द्वारा निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, दूसरे रजिस्टर्ड अभिकरण को केवल सुनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगी।

(5) उपरोक्त **खण्ड (3)** या **खण्ड (4)** के अधीन रजिस्टर्ड अभिकरण के डिरजिस्ट्रेशन के निर्णय के परिणामिक ऐसा रजिस्टर्ड अभिकरण की किसी ओ.एम.डी के लिए निगम द्वारा दिया गया कोई अनुमोदन किसी ओर नोटिस के बिना तुरन्त वापस लिया गया समझा जाएगा।

(6) उपरोक्त **खण्ड (3)** या **खण्ड (4)** के अधीन एक बार डिरजिस्टर्ड कोई अभिकरण डिरजिस्ट्रेशन की तिथि से **तीन वर्ष** की अवधि के लिए रजिस्टर करने के लिए अनुमत नहीं होगा।

(7) **पन्द्रह दिन** से आगे उल्लंघन जारी रहने के मामले में, सम्पति, जिस पर ऐसा उल्लंघन होता है, एक वर्ष की अवधि कि लिए विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए बहिष्कृत कर दी जाएगी ।

(8) आयुक्त, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पति, जिस पर या में अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है, में प्रवेश करने तथा ऐसे अप्राधिकृत मीडिया को हटाने की शक्ति होगी।

बीमा।

24 (1) ओ.एम.डी की रजिस्टर्ड अभिकरण, व्यक्तियों की भाारीरिक हानि या सम्पति के आकस्मिक नुकसान के सम्बन्ध में तीसरे पक्ष के लिए उनके सम्बन्धित अधिकारों, हितों तथा दायित्वों के लिए लोक दायित्व बीमा पालिसी रजिस्टर्ड अभिकरण के संयुक्त नाम से मुहैया कराएगा तथा पूर्णयता प्रवृत प्रभावशाली रखेगा।

(2) रजिस्टर्ड अभिकरण निगम को प्रयोजनों के लिए प्रभावी तथा अनुरक्षित बीमें के सबूत प्रस्तुत करेगा।

क्षतिपूर्ति।

25 (1) ओ.एम.डी के रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा, सभी कार्रवाई, कार्यवाहियों, दावों, मांगो, लागतों, हानियों, नुकसानों तथा खर्चों, जो निगम के विरूद्ध लाये गये है, या पर किए गये हैं, जो ओ.एम.डी को लगाने या अस्तित्व के परिणाम के रूप में उत्पन्न हुये हैं, के लिए निगम को, क्षतिपूर्ति करनी अपेक्षित होगी।

(2) ओ.एम.डी के रजिस्टर्ड अभिकरण विज्ञापन के प्रदर्शन से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी व्यक्ति या सम्पति द्वारा की गई किसी हानि या वहन किए गये नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार होगा तथा परिणामी दावा स्वामी द्वारा उठाया जायेगा, जो निगम, इसके द्वारा नियोजित/नियुक्त किसी हस्ती की क्षतिपूर्ति भी करेगा तथा सुरक्षित भी रखेगा।

थ्नरसन और व्यावृति

26 (1) हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपविधियाँ, 2016, इसके द्वारा, निरसित की जाती हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते ही, उक्त उपविधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन उप–विधियों के उपबन्धों के समरूप की गई बात तथा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुबन्ध 1

रजिस्ट्रेशन प्ररूप

{देखिए उप–विधि 3 (1) तथा 3(6)}

नगर निगम

बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित कम्पनी /फर्म/अभिकरण/स्वामी का नाम : ....
2. रजिस्टर्ड पता : ....
3. टैलिफोन सम्पर्क : ....कारबार : .... फैक्स : .... ईमेल पता : ....
4. निदेशकों/स्वामियों /भागीदारों के ब्योरे :

क्रम संख्या	नाम	डिन नं0	मोबाईल नम्बर	ईमेल पता

(i)				
(ii)				

5. कम्पनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;
6. पिछले तीन वर्षों, के विज्ञापन कारबार में अभिकरण के अनुभव, ब्यौरे यदि उपलब्ध हों;
7. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव के ब्योरे;
8. निदेशक के ब्योरे, जो किसी अन्य अभिकरण के निदेशक रहते हुए किसी मामले में दोषी रहे हों;
9. पिछले तीन वर्षों का तुलन–पत्र, यदि उपलब्ध हों;
10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए न कि किसी व्यैक्तिक निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र;
11. हरियाणा की किसी नगर पालिका में पिछले पांच वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकारों/अनुमतियों के ब्योरे;
12. वचन कि अभिकरण, हरियाणा की किसी नगर पालिका में उसके विरूद्ध कोई भी राशि लम्बित नहीं है;
13. हस्ती की किस्म : ....
14. पैन नम्बर : ....
15. सेवाकर नम्बर : ....
16. रजिस्ट्रेशन राशि : ....
17. आवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले तीन वर्षो में किसी सरकारी हस्ती द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। हां ☐ नहीं ☐
18. आवेदक फर्म/कम्पनी की ओर कोई भी देय लम्बित नहीं है हां ☐ नहीं ☐
19. यदि हां तो कृप्या कुल लम्बित देय विनिर्दिष्ट करें हां ☐ नहीं ☐
20. आवेदक फर्म/कम्पनी की ओर कोई भी न्यायालय मामला लम्बित नहीं है। हां ☐ नहीं ☐

मैं/हम, इसके द्वारा, नगर निगम द्वारा बनाई गई विज्ञापनउप–विधि/पालिसी के निबन्धनों तथा शर्तो तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

हां सहमत ☐

प्रस्तुत

(ऑफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिंट आउट लें तथा "आयुक्त, ...नगर निगम में भुगतानयोग्य" के पक्ष में नगर निगम कार्यालय में आयुक्त, नगर निगम द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धन राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)
टिप्पणः यह केवल प्रतीकी (प्ररूपी) फारमेट है तथा समय–समय पर ....के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अध्यधीन है। वैबसाईट से नवीनतम विवरण का हमेशा प्रयोग किया जाना है।

अनुबन्ध 2
अनुमोदन प्ररूप
{देखिए उप–विधि 4(3)}

संख्या .... दिनांक ....
सेवा में

....
....

बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या ...., दिनांक .... के सन्दर्भ में है।
प्रिय श्री मान जी,

यह बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी को लगाने के लिए नगर निगम .... से रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :

1. रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है तथा आपको एकमात्र पहचान संख्या .... आवंटित की गई है। कृपया नगर निगम में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम .... की वैबसाईट पर आपके लेखे को सक्रिय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए।

2. नए मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है:

- क. अधूरा आवेदन
- ख. दी गई गलत सूचना
- ग. नगर निगम में लम्बित देय
- घ. काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है
- ड. अन्य

आयुक्त
नगर निगम ....

1. टिप्पण : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
2. टिप्पण : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अध्यधीन है।

अनुबन्ध 3
आवेदन प्ररूप
{दिखिए उप–विधि 5(1), 5(2)(viii) तथा 6(7)}

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए				
जिला :	शहर :	वार्ड :	जोन :	परमिट नम्बर : ....
सड़क/गली/पता :				
दी गई तिथि :		आवेदन संख्या :		
परमिट जारी करने की तिथि :		परमिट समाप्ति की तिथि :		

अनुभाग I – फीस (मेल द्वारा कोई भी नकद स्वीकृत नहीं है)		
आवेदन फीस (अप्रत्यर्पणीय) ☐		
खाता संख्या :	बैंक का नाम :	आई एफ एस सी कोड : ....
खाता संख्या:	कुल फीस :	

अनुभाग II – प्ररूप – वर्गीकरण (उपयुक्त बॉक्स जांचना)			
किस्म क	**किस्म ख**	**किस्म ग**	**किस्म घ, ड़, च तथा छ**
• बस तथा आई पी टी आश्रय ☐ • बस तथा आई पी टी मार्ग मार्कर ☐ • शौचघर ब्लाक ☐ • साईकल स्टेशन ☐ • पुलिसबूथ ☐ • बैठने के बैंच ☐ • यातायात रूकावट ☐ • पइलोन माउंटिड साधन ☐ • मैट्रो/एम आर टी एस/एफ ओ बी ☐ • सरकारी परिवहन वाहन ☐	• सरकारी भूमि पर ओ.एम.डी ☐	• सूचना पट्ट ☐ • यूनिपोल ☐ • भवन बोर्ड ☐ • दीवार आवरण ☐ • एल ई डी/इलैक्ट्रोनिक ☐	• अस्थाईघटना ☐ • वृक्ष गार्ड ☐ • स्वयं विज्ञापन ☐ • नवाचार ☐

अनुभाग III – आवेदक			
आवेदक का नाम (कृपया फर्म या व्यक्तिगत का मुद्रित या टाईप नाम वांछित परमिट)...................	निदेशकों के नाम :	एक मात्र रजिस्ट्रेशन संख्या :.......	ओ.एम.डी आई डी :................ ....

....			
मेलिंग पता :	शहर :	राज्य :	कार्यालय फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर :

अनुभाग IV – सम्पत्ति

सरकारी ☐	प्राईवेट ☐

सम्पत्ति स्वामी का नाम (व्यक्ति के नियन्त्रण में सम्पत्ति)	पता :	शहर :	पिन कोड :	फोन नम्बर : ....

अनुभाग V – प्रदर्शन स्थान सूचना

क्षेत्र :	स्थान : खसरा सं0	गली :	सीमा चिह्न : ....

अनुभाग VI – मीडिया विशिष्टियां

उंचाई :	लम्बाई :	आकार (वर्ग फुट में) : ....
सामग्री घातु ☐ लकड़ी ☐ अन्य ☐	चित्रावली हां ☐ नहीं ☐	अग्रभाग की सूचना देना एन ☐ एस ☐ ई ☐ डब्लयू ☐

अनुभाग VII – अपेक्षित दस्तावेज

कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:

• निदेशक सूचना	अपलोड
• भवन परमिट/सम्पत्ति कर	अपलोड
• पैन संख्या	अपलोड
• सेवा कर संख्या	अपलोड
• संरचनात्मक इंजीनियर सम्पत्ति स्वामित्व का प्रमाणपत्र	अपलोड
• स्वामी तथा विज्ञापन अभिकरण के बीच संविदा करार	अपलोड
• विज्ञापन स्थलों के स्थान सहित शहर योजना	अपलोड
• जी पी एस अवस्थिति सहित ओ.एम.डी का समकक्ष	अपलोड
• स्थल के फोटो (स्वामी तथा अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित)	अपलोड
• स्थल की रेखाचित्र योजना	अपलोड
• लम्बित देय (यदि कोई हों)	अपलोड
• वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन, माप मापक्रम) 1:1000	अपलोड

मैं/हम, इसके द्वारा, नगर निगम द्वारा बनाई गई उप–विधियों के सभी उपबन्धों का पालन करूंगा/करेंगे।
(आफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिन्ट आउट लें तथा .... आयुक्त .... का नगर निगम .... में भुगतानयोग्य के पक्ष में आयुक्त, नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशी के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें)
टिप्पणः यह केवल प्रतीकी (प्ररूपी) फारमैट है तथा समय–समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है। वैबसाईट से नवीनतम विवरण का हमेशा प्रयोग किया जाना है।

अनुबन्ध–4
(देखिये उप–विधि 6(4))
नगर निगम, ...द्वारा अनुमोदन पत्र

संख्या........................ दिनांक...............................

सेवा में

....,

....

बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ.एम.डी की स्थापना के/नवीकरण लिए आपके आवेदन संख्या...................... दिनांक............................. के संदर्भ में।

प्रिय श्रीमान जी,

नगर निगम............................. में आपकी कम्पनी/ फर्म/ अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी की स्थापना/ के नवीकरण के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

1. नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन..के नगर निगम की सीमाओं...................... ....(जोन/वार्ड) के भीतर ....(स्थान).................................. पर (आकार)(वर्ग फुट में) . ...को (दिनांक).. से (दिनांक) ....तक बाहरी मीडिया के निर्माण/प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया है। आपको, इसके द्वारा, इस पत्र के जारी होने के **सात दिन** के भीतर...रूपये की मासिक फीस जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।
2. नई ओ.एम.डी. के लिए आबंटित एकमात्र आई.डी....................................है।

नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार किया जाता है :—

1 अधूरा आवेदन
2 दी गई गलत सूचना
3 नगर निगम में लम्बित देय
4 काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है
5 अन्य

आपका धन्यवाद

आयुक्त

नगर निगम ....

उपरोक्त की प्रति श्री —————— (सम्पति का स्वामी), पता ———— की सूचना के लिए सूचित करते हुए तथा कथित करते हुए कि आप दायी होंगे यदि अभिकरण जिसके साथ आपने संविदा करार की है (प्रति सलंग्न)। उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत नगर की ओर किन्हीं देयों के भुगतान में चूक की है और नगर निगम को हरियाणा, नगर निगम अधिनियम 1994, (1994 का 16), की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्की या विक्रम के रूप में चूक में राशि की वसूली करने का अधिकार होगा। आगे, उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत प्रस्ताव में आप दायी ठहराये जाएंगे।

टिप्पण : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।

टिप्पण : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह समय—समय पर नगर निगम द्वारारूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

अनुबन्ध 5

(देखिये उप—विधि 15)

वर्गीकरण	वर्गीकरण वर्णन
क.	**प्ररूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/गली फर्नीचर तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी**
क.1	बस तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आई.पी.टी.) आश्रय
क.2	बस तथा आई.पी.टी मार्ग मार्कर
क.3	फुट ओवर सेतु, संकेत गंत्री, शौचघर ब्लाक तथा मूत्रालय
क.4	साईकल स्टेशन
क.5	पुलिस बूथ, पर्किग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, निर्देशिका/बिलों के भुगतान इत्यादि को सूकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर लोक उपयोगिता कीयोस्क।
क.6	बैठने के बेंच, कूड़ा—करकट धानी।

क.7	मैट्रो / एम.आर.टी.एस
क.8	यातायात रूकावट
क.9	सार्वजनिक परिवहन वाहन
ख.	**वर्गीकरण ख : सार्वजनिक भूमि पर वणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी**
ख.1	सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी.
ग.	**वर्गीकरण ग : निजी भूमि पर वणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी।**
ग.1	यूनिपोल, सूचनापट्ट, भवन बोर्ड
ग.2	दीवार आवरण / दीवार पेंटिंग
ग.3	बहुविध ओ.एम.डी,।
घ.	**वर्गीकरण घ. : कार्यक्रम**
घ.1	धार्मिक, राजनैतिक तथा सम्मेलन
घ.2	मनोरंजन तथा प्रदर्शन कार्यक्रम
ड़.	**वर्गीकरण ड़ : भू–दृश्य विज्ञापन**
ड़.1	वृक्ष गार्ड
च.	**वर्गीकरण चः दुकान संकेत**
च.1	स्वतः विज्ञापन
छ.	**वर्गीकरण छ : नवाचार विज्ञापन**
छ.1	नवाचार विज्ञापन
ज.	**वर्गीकरण ज : सिनेमा विज्ञापन**
ज.1	स्क्रीन विज्ञापन पर सिनेमा में जिसमें खिसकना (स्लाईड) तथा विज्ञापन फिल्म गतिमान विज्ञापन शामिल हैं
झ.	**वर्गीकरण झ : आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन**
झ.1	आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर–परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ.एम.डी संरचना को हर सभी समय भली भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस–पड़ोस से संगत हो, तथा उसको बढ़ावा दें।

अनुबंध– 6
{देखिए उपविधि 6 (6)}
मानक संविदा करार

यह करार आयुक्त, नगर निगम, ... जिसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी तथा इसमें उसके प्रथम पक्षकार के उतराधिकारी तथा समनुदेशिती शामिल है) के द्वारा नगर निगम, ... (लाईसैंसर) जिसका कार्यालय.................... में है, के बीच दिनांक––––––––––को .. .. (शहर का नाम) में किया गया है।

तथा

इसमें, इसके बाद, द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मीडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम .... से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय................. में रखने वाली फर्म मैसर्स .... के श्री / श्रीमती, ... (स्वामी / भागीदार / निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिती भी शामिल है।

चूंकि द्वितीय पक्षकार ने................ में स्थ्ति, श्री / श्रीमती .... द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि / भवन पर बाहरी मीडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिए आवेदन किया है जिसके लिए द्वितीय पक्षकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 तथा हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियॉं, 2018 के उपबन्धों के अधीन होर्डिंग के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिए अपनी सम्पति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए, आवेदन आईडी––– द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी–––– के परिसर में दिनॉक––––से–––तक––अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पति के स्वामी के साथ द्विपक्षीय करार किया है।

इसलिए, अव, यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा के बीच किया गया हैः

1. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियाँ, 2018 के उपबन्धों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचन लिया है।
2. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा तीन मास के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धनों तथा शर्तों की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।
3. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से सम्बधित भवन या अड़ोस–पड़ोस भवन तथा /या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या में कोई बाधा नहीं करेगा।
4. द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वें इसमें इसके बाद हर समय नगर निगम .... तथा आयुक्त या इनमें से दोनों को किसी किस्म के जंतुओं जो उनके विरूद्ध संस्थित किए जाएं। तथा दावाकृत हो, की गई किसी स्वरूप की सभी कार्यवाही, कार्यो, वाद, लागत, दावे, नुकसान, मागों से अहानिकर तथा सुरक्षित रखेंगे।
5. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरूद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये दायी होंगे।
6. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक लाईसेंस फीस अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक लाईसेंस फीस की समाप्ति से **तीस दिन** पूर्व जमा हो गई है जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद्द किये जाने के लिए दायी है। फीसों के जमा न करने के मामले में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लम्बित देय, यदि कोई हो, समायोजित किये जाएंगे।
7. कि द्वितीय पक्षकार समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपविधियां, 2018 की उप–विधि 18 में यथा परिभाषित ओएमडी का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा। अनुपालन के मामले में, करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा उपविधियों में यथा विहित शास्ति फर्म पर अधिरोपित की जाएगी।
8. कि दोनों पक्षकार इसके द्वारा सहमत है कि यह करार द्वितीय पक्षकार तथा होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन प्रदर्शन के लिए भूमि/भवन के स्वामी के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार को असामयिक समाप्ति तथा समाप्ति पर समाप्त किया गया समझा जाएगा।
9. कि प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार अभिवेदन तथा समर्थन करता है कि वे इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं।

इसके साक्ष्य में पक्षकार ने इसमें, इसके ऊपर पहले वर्णित दिन, मास तथा वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मोहर लगा दी है।

निम्नलिखित द्वारा दिनांक .... को हस्ताक्षरित कर दिया है, मोहर लगा दी है तथा डिलीवर कर दिया हैः

प्रथम पक्षकार का प्रतिनिधि	द्वितीय पक्षकार का प्रतिनिधि
नाम :	नम :
पदनाम :	पदनाम :
गवाहो की उपस्थिति में	
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :

अनुसूची–1
सामान्य अनुज्ञा मानदण्ड– बाहरी मीडिया साधन
(देखिए उप–विधि–3 (5), 12 (1) (ii, iii) तथा 15)

1. यातायात बाधा सम्भाव्य निर्भरता

(1) ओ.एम.डी यातायात बाधा सम्भाव्य निम्नलिखित पर निर्भर हैः–

(i) स्थल अवस्थितिः सड़क से ओ.एम.डी की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के निबन्धनों के अनुसार मापी गई है। सामान्यतः बाधा को कम करने के लिये साधन सडक से दूर है;

(ii) ओ.एम.डी का आकार;

(iii) ओ.एम.डी का संदीप्ति स्तर; तथा

(iv) अप्रकाश्यता तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित विषय।

(2) विज्ञापन साधन को यातायात बाधा माना जा सकता हैः

(i) यदि यह यातायात नियन्त्रण साधन (अर्थात् यातायात प्रकाश, ठहराव या रास्ता संकेत देना) की प्रभावकारिता में बाधा डालता है।

(ii) यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता है;

(iii) संकटमय समय पर चालक का ध्यान भंग करता है (अर्थात् चौराहे पर निर्णय लेने में)।

(iv) सड़क बाधा में चालक की नजर को धुधंला करता है (अर्थात् सड़क के कोने या मोड़ पर)।
(v) 'रूकने', 'ठहराव' या अन्य में यातायात के लिए हिदायतें देता है (अर्थात् रास्ता देना या विलीन होना)।
(vi) यातायात नियन्त्रण साधन का अनुकरण करना।
(vii) क्या सड़क या अन्य अवसंरचना, यातायात, पैदलयात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक बाधा डालता है।
(viii) क्या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कहीं अनेक साधन हैं तथा उन साधनों का संचयी प्रभाव समान्य रूप से खतरनाक है।
(ix) यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सड़क स्थिति के कारण चालक की एकाग्रता की मांग मुख्य है जैसा कि मुख्य चौराहे या विलीन होने तथा अटकने वाले पथ पर।
(x) यदि यह नगर निगम की भवन उप–विधियों का उल्लंघन करता है।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त चालक ध्यान तथा निर्णय करना निम्नलिखित में अपेक्षित हैः–
(i) उच्च गति में मोड़ना, विलीन होना या टेढे–मेढे चलना चौराहे पर जैसे कि 'Y' चौराहा या बड़े उच्च गति चक्कर;
(ii) चौराहे के आस–पड़ोस में, जहां सम्पूर्ण पथ विलीन हो जाता है तथा जहां वाहनों का उच्चतर गति में विलीन होना अपेक्षित है (अर्थात् जहां ''जाल पथ'' चौराहे से पहुंच मार्ग, या से निकास को सृजित करता है तथा जहां विभाजित मोटर रास्ता दो सड़कों में बन जाता है);
(iii) सड़क के चौराहे या काट जो पथ की आकृति या ज्यामिति के कारण, चालक एकाग्रता के स्तर में वृद्धि के लिए जरूरी हो सकती है (अर्थात् पांच–रास्ता चौराहे, पीछे से पीछे सपाट मोड़);
(iv) विभाजित सड़क के बाहरी मोड. पर जहां विज्ञापन वाहन रास्ते के सामने के यातायात को र्निदेशित करता है तथा ज्यामिति, कोण या अन्य घटक इसे आपत्तिजनक बनाते हैं;
(v) सडक को विभाजित करने वाले यातायात संकेत, दिशात्मक चिह्न, विनियामक तथा सलाहकारी चिह्न का प्रदर्शन करना जो कि (जब एक मात्र रूप से या संयोजन से माने गये है) महत्वपूर्ण रूप से अधिक असदृश या पेचीदा के रूप में मान लिए गये है, तो वे सामान्यतः प्रत्याशित होंगे (इन चौराहों पर यह प्रत्याशित होगा कि यातायात नियन्त्रण साधन (साधनों) की अपेक्षित अध्ययनता तथा व्याख्या अवधि सार्थक रूप से लम्बी होगी;
(vi) सड़क की काट जहां पूर्ववत वाहन टक्कर सामान्य प्रणाली से उच्चतर है;
(vii) पैदल यात्रियों के लिए क्रासिंग सुविधाएं; तथा
(viii) विद्यालय, अस्पताल, वृद्धआश्रम ।

2. ओ.एम.डी. अवस्थान चयन मानदण्ड

(1) स्थान चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित शामिल है :–
(i) ओ.एम.डी का पार्श्व स्थापना (जो गुमराह वाहन तथा सरकारी यातायात चिह्नों की वास्तविकता की सम्भाय बाधा को प्रभावित करता है), तथा
(ii) निर्दिष्ट यातायात स्थिति तथा सरकारी यातायात चिह्न, सड़क विशेषता तथा अन्य ओ.एम.डी (जो दृश्य दूरी तथा चालक घबराहट को प्रभावित करता है) से संबंधित ओ.एम.डी का देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)।

(2) पार्श्व स्थापना
(i) विज्ञापन मध्यम रेखा में अनुमत नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण यातायात नियन्त्रण साधनों से अलग रखा गया है।
(ii) ओ.एम.डी यातायात टापू (आईजलैण्ड) पर अनुमत नहीं होगा।
(iii) जहां वाहन रास्ते इतने अधिक भटकाऊ है कि उस पर आने वाला यातायात स्थलाकृति या सधन पेड–पौधे के कारण दृश्य (स्पष्ट) नहीं है।

(3) देशान्तरीय स्थापना (चालक घबराहट नियन्त्रण)
(i) देशान्तरीय स्थापना ओ.एम.डी तथा यातायात प्रतिकूल बिन्दु, सरकारी यातायात चिह्न तथा अन्य ओ.एम.डी (अर्थात् विज्ञापन सधनता को कम करना) के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है।
(ii) ओ.एम.डी के स्थापन द्वारा यातायात के बहाव को सुकर बनाने तथा द्वारा हुये किसी यातायात बाधा से बचने के लिए किसी साधन के देशान्तरीय स्थापन को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जायेगा, ओ.एम.डी ने स्थापना के लिए दूरी मुख्य वाहन रास्ते या जंकशन (संयोजन), चौराहे, गोल चक्कर इत्यादि से मापी जाएगी।
(iii) सम्बन्धित आई.आर.सी संहिता लागू होगी

(4) पार्श्वीय तथा देशान्तरीय–स्थल चयन मापदण्ड
(i) पार्श्वीय मापदण्ड
ओ.एम.डी के पार्श्वीय व्यवस्था के लिए स्थल चयन मापदण्ड

	आर.ओ.डब्लयू सहित सड़क की चौड़ाई (W)	सड़क के आर.ओ. डब्ल्यू से ओ.एम.डी तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी	मोड़ कारक (यदि) वहां सड़क पर मोड़ है)	सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू से ओ.एम.डी तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि वहां सड़क पर मोड़ है)
	1	2	3	4
(i)	W	W का एक तिहाई	1.5	1.5 x W का एक तिहाई
अर्थात्	W = 60 मीटर	1/3 x 60 = 20 मीटर	1.5	1.5 x 1/3(60) = 30 मीटर

(क) पार्श्विक दूरी मानदण्ड **अनुबन्ध–5** में **वर्गीकरण "क"** में परिभाषित ओ.एम.डी के सिवाए सभी प्रकार की ओ.एम.डी को लागू हैं;

(ख) राष्ट्रीय उच्च मार्ग एक्सप्रेसवे के रूप में अधिसूचित होने की दशा में, पाशर्विक दूरी **उप–विधि–2** के **खण्ड (1) की मद (xxiii)** में यथा परिभाषित आर ओ डब्ल्यू के किनारे से मापी हुई 30 मीटर या आर ओ डब्ल्यू का एक तिहाई (जो भी ज्यादा हो) होगी तथा किसी भी मामले में ओ.एम.डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के आर ओ डब्ल्यू के भीतर अनुमत नहीं की जाएगी;

(ग) राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा राज्य उच्च मार्ग की दशा में, पार्श्विक दूरी **उप–विधि–2** के **खण्ड (1) की मद (xxiii)** में यथा परिभाषित आर ओ डब्ल्यू के किनारे से मापी हुई 10 मीटर या आर ओ डब्ल्यू का एक तिहाई (जो भी ज्यादा हो) होगी तथा किसी भी मामले में ओ.एम.डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के आर ओ डब्ल्यू के भीतर अनुमत नहीं की जाएगी;

(घ) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन, सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित सड़क के मामले में, **उप विधि 2 के खण्ड (1) की मद (xxiii)** में यथा परिभाषित आर ओ डब्ल्यू के किनारे से मापी जाएगी। अनुज्ञेय पर्श्विक दूरी उपरोक्त मापे गये अनुसार सड़क के आर ओ डब्ल्यू की चौडाई का या तो एक तिहाई या कम से कम 10 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी;

(ड़) सैक्टर सड़कों, नगर पालिका सड़कों तथा अनुसूचित सड़क से भिन्न सड़कों के मामले में, पाशर्विक दूरी, **उप–विधि 2 के खण्ड (1) की पद (xxiii)** में यथा परिभाषित आर ओ डब्ल्यू के किनारे से मापी जाएगी। दूरी आर.ओ.डब्ल्यू की एक तिहाई या 10 मीटर, जो भी कम हो, होगी।

(ii) देशान्तरीय मानदण्ड

ओ.एम.डी के देशान्तरीय स्थापना के लिए स्थल चयन मानदण्ड

	50 किलोमीटर/एच.आर तक की अधिसूचित गति के लिए सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी	गति कारक (सड़क की अधिसूचित गति 50 किलोमीटर/ प्रति घंटा से उच्चतर है)	सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि अधिसूचित गति 50 किलोमीटर/ प्रति घंटा से उच्चतर है)
	1	2	3
(i)	150 मीटर	(i). 60 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.2 (ii). 80 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.5 (iii). 100 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.8	(i). 150 x 1.2 = 180 मीटर (ii). 150 x 1.5 = 225 मीटर (iii). 150 x 1.8 = 270 मीटर

टिप्पणः देशान्तरीय दूरी मानदण्ड **अनुबन्ध 5 में वर्गीकरण "क"** में परिभाषित ओ.एम.डी के सिवाए किसी सड़क के साथ ओ.एम.डी या सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी को लागू होगी।

(iii) किसी सड़क संयोजन (जंक्शन), यातायात चौराहे या अन्य क्रासिंग (चौराहे) के 75 मीटर के भीतर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। दूरी यातायात चौराहे के किनारे से मापी जाएगी न कि सड़क जंक्शन या क्रॉसिंग से।

(iv) ओ.एम.डी यातायात के विनियमन के लिए निर्मित किसी यातायात संकेत या यातायात चिह्न या किसी अन्य संरचना को बन्द नहीं करेगी।

(v) गोलचक्कर (राउंडअबाउट) (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर से कम के ब्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(vi) गोलचक्कर (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर तथा से अधिक व्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के किनारे से 15 मीटर की स्पष्ट दूरी पर अनुमत हैं।

(vii) जहां पार्श्व स्थापन अपेक्षाएं तथा चालक घबराहट अपेक्षाएं किसी विशेष निर्बन्धन दूरी, द्वारा मुहैया कराई गई है, तो वृहतर मान्यताओं का प्रयोग किया जाएगा।

(viii) जब दो (2) ओ.एम.डी इकटठे स्थित है, अपने साधारण रूप में भिन्न है, तो चालक ध्यान–भंग सम्भाव्यता दोनों यन्त्रों को साथ–साथ विचारते हुए अवधारित की जाएगी।

(ix) किसी यूनिपोल ओ.एम.डी या किसी अन्य यूनिपोल ओ.एम.डी से दीवार आवरण ओ.एम.डी के किनारे के बीच अनुज्ञेय दूरी सामने के अग्रभाग से कम से कम 50 मीटर होगी।

(x) यदि कोई ओ.एम.डी एक सड़क या सड़क की किस्म से अधिक दृश्य है (जैसे कि मोटर मार्ग या मोटर मार्ग मानक सड़क तथा रैम्प या अन्य सड़क), तो प्रतिबन्ध प्रत्येक सड़क या सड़क से दृश्य ओ.एम.डी को लागू होगा।

(5) ओ.एम.डी की भौतिक विशेषता

(i) भौतिक विशेषता पर नियन्त्रण का उपयोग, चालक घबराहट के स्तर को कम करना आशयित है। बाहरी विज्ञापन साधन की भौतिक विशेषताओं का नियन्त्रण निम्नलिखित से सम्बन्धित हैः

क. आकार तथा आकृति

ख. रंग

ग. चित्रावली तथा संदीप्ति

घ. संचलन तथा चक्रानुक्रम

ड ओ.एम.डी विषय–वस्तु

(ii) आकार तथा आकृति

क. ओ.एम.डी ऐसी आकृति का प्रयोग नहीं करेगा जो संभवतः किसी ओ.एम.डी से सरकारी यातायात चिह्न की वास्तविकता के लिए भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो सकता हो।

ख. भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67–200/सड़क चिह्न के लिए प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य/ अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iii) रंग

क. ओ.एम.डी ऐसे रंग संयोजन (सम्मिश्रण) का प्रयोग नहीं करेंगे जो संभवतः सरकारी यातायात चिह्न के भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो।

ख. भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67–2001, सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य/ अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iv) चित्रावली तथा संदीप्ति

क. ओ.एम.डी भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु प्रकाश स्त्रोत के बराबर नहीं होगा जो, जब सड़क से देखने पर, आपातकालीन सेवा या वाहन चेतावनी प्रकाश के अन्य विशेष प्रयोजन का आभास दे सकता है।

ख. ओ.एम.डी से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल ओ.एम.डी तथा इसके ठीक आस–पास को निर्देशित करेंगे।

ग. बाहरी चित्रावली स्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कवच किया जाएगा कि बाहरी ''स्थान'' प्रकाश स्रोत पास आने वाले मोटरचालक पर निर्दिष्ट न हो।

घ. ओ.एम.डी की चित्रावली या उसके सम्पूर्ण भाग को छिपाया जाना है।

ड. साधन के ऊपरी प्रकाश/ निर्देश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी बाहरी प्रकाश निंदेश को नीचे का ओर किया जाना है तथा ओ.एम.डी से बाहर प्रकाश को रोकने या प्रकाश को कम करने के लिए ओ.एम.डी पर सीधे रूप से फोकस किया जाना है।

च. किसी प्रकाश स्त्रोत को कवच किया जाएगा ताकि चकाचौंघ ओ.एम.डी से बाहर न फैले।

छ. गैर–स्थैतिक प्रदीप्त ओ.एम.डी (कोंधवती) अनुमत नहीं हैं।

ज. सामान्य अनुरक्षित संदीप्ति को 0.5 दीपाधार तक कम किया जाएगा या 2300 बजे (11 बजे सांय) के बाद तथा स्वतः समय यन्त्र द्वारा सूर्योदय के बाद या समय–समय पर नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के बाद बन्द किया जाएगा।

झ. पूर्व परावर्तक सामग्री वाले ओ.एम.डी के चमकीले परावर्तन को कम करने के उद्देश्य से वाहन हैडलाइट बीम की साधारण रेखा से लगभग 5 डिग्री दूर से घुमाया जाएगा।

(v) संचलन तथा चक्रानुक्रम

(क) गतिमान प्रदर्शन जो बाहरी उद्दीपन, प्रवर्तक आवर्ती या परिवर्तनशील संदेश ओ.एम.डी पर मोटर चालक प्रतिक्रिया समयों पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक विभ्रान्तीय प्रभाव डालते है। केवल मार्किट स्थल, पार्किंग स्थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अनुज्ञेय है जहां कहीं केवल पैदल चलने वालों का आवागमन है। किसी भी मामले में ऐसे विज्ञापन यातायात (केवल सरकारी परिवहन वाहनों पर चिपकाए गए विज्ञापनों के सिवाए) के लिए अनुमत नहीं किए जाएंगे।

(ख) किसी मोटर वाहन अर्थात ट्रेलर विज्ञापन पर ओ.एम.डी अनुज्ञात नही किए जायेंगे।

(ग) यह अनुमति मानदण्ड यातायात प्रबन्धन/सूचना के लिए सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन को लागू करने के लिए आशयित नहीं है। बस अड्डे या समरूप स्थानों पर स्थित परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन जहां संदेश पैदल यात्रियों (मोटरचालकों के लिए नहीं) पर निर्दिष्ट है, तथा के लिए आशयित शामिल नहीं है।

(vi) विज्ञापन साधन विषय–वस्तु

नगर निगम सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानक लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग में स्वतः विनियामक नियन्त्रण पर विश्वास रखेगा। इस प्रस्ताव के होते हुए भी, नगर निगम ओ.एम.डी के किसी विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो विज्ञापन उद्योग की नीति शास्त्र संहिता के उल्लंघन में हो (उपनियम 12(3) में उपबन्धित नकारात्मक विज्ञापनों की सूची या जो यातायात बाधा का अन्यथा कारण बनता हो संदर्भित करें।

(vii) सुवाच्यता

क. ओ.एम.डी (ओ.एम.डी से भिन्न जो पैदलयात्रियों पर निर्दिष्ट हैं) के सभी प्रवर्गो के लिए, ओ.एम.डी के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटरचालकों के लिए आसानी से इन्द्रियगोचर होने चाहिए। यह चालक की घबराहट को कम करेगा। इसके अतिरिक्त चिह्न शीघ्र तथा आसानी से समझे जाने वाले होंगे ताकि दर्शक को अपेक्षित विज्ञापन संदेश सूचित किए जा सकें तथा घबराहट के समय को कम कर सकें।

ख. ओ.एम.डी पैनल पर प्रदर्शित विषय–वस्तु या लेखा चित्र–कला, अभिन्यास पढने में कठिनाई से बचाएगी तथा अधिचित्र जटिल नमूना आकृति से बचाएगा तथा अक्षर शैली उचित होगी। किन्ही भी परिस्थितियों में सूचना वाले साधन अवतरण आकारों में नहीं होने चाहिए, जो चालक या गतिमान वाहन के यात्री को रूकने, पढने तथा/ या नोट करने आवश्यक होंगे, जो यातायात के निर्बाध बहाव तथा चालक को विभ्रान्त करने में हानिकारक हो।

ग. सभी ओ.एम.डी इस प्रकार से डिजाईन किए जाएंगे कि उन्हें सादृश्य रखा जा सके, जहां, साधारण नियम के अनुसार, अक्षर जब तक नगर निगम द्वारा अन्यथा अनुमत न हो, तब तक अक्षर ओ.एम.डी क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक के क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए।

3. स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण विकास मानदण्ड

(1) निम्नलिखित मानदण्ड भी लागू होंगे :–

(i) संनिर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन गतिविधियों के लिए ओ.एम.डी को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होगी।

(ii) ओ.एम.डी तथा आस–पड़ोस के क्षेत्रों को स्वच्छ तथा साफ–सुथरी अवस्था में रखा जाएगा।

(iii) अप्राधिकृत वृक्षहीन क्षेत्र, पेड़–पौधों की छंटाई करना, कटाई तथा जलाना या वनस्पती का अन्यथा हटाना या विनाश करना अनुमत नहीं है।

(iv) यानीय तथा पैदल यातायात को अनुग्राही बनाने के अलावा, सड़क आरक्षण उपयोग सेवाओं के लिए कोरीडोर हैं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा सिवरेज (मलजल)। इन सेवाओं के स्थान सड़क आरक्षण के भीतर इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उनके अपने विधायी अधिकार सहित अन्य अभिकरणों द्वारा ज्ञात है।

(v) नगर निगम सभी भूमिगत सेवाओं के सही स्थान को नहीं जानता। स्वामी किए जाने वाले स्थल कार्यो पर कोई उत्खनन या निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरणों से समन्वय करने, सूचना देने तथा संसूचित करने के लिए जिम्मेवार है। कोई दायित्व, विलम्ब या दुर्घटना जो घटती है, की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वामी की है तथा किसी भी रूप में नगर निगम करार या इस उप–विधियों में नियत सहायता, समर्थन, बातचीत करने या किसी शर्त को हटाने के लिए दायी नहीं होगा।

(vi) ओ.एम.डी के स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र जिम्मेवार हैं कि किसी ओ.एम.डी के संनिर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा कार्यवाही के दौरान, साधन सड़क आरक्षण के भीतर सेवाओं या अन्य बातों के प्रतिकूल नहीं होगा।

(vii) नगर निगम उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा मलजल (सीवरेज) द्वारा किए गए कार्य को सूकर बनाने के लिए या सड़क को चौड़ा करने के लिए किसी ओ.एम. डी को या तो बदलने या पूर्णतया हटाने के लिए स्वामी को कह सकता है।

4. संरचना

(1) ओ.एम.डी संरचना यन्त्र संरचनात्मक इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगे। यह अपेक्षा विशिष्ट दृष्टान्तों को लागू नहीं है जहां ओ.एम.डी संरचना के बाहरी हिस्से से सीधे रूप से चिपकाए गए विज्ञापन के रूप में है अर्थात् वाहन, दीवार आवरण पर चिपकाया गया स्टीकर।

(2) यह प्रमाणन सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इस मार्गदर्शक की शर्तों सहित डिजाईन का अनुपालन प्रदान करता है। नींव अत्यधिक हवा अवस्था, भूकम्प, क्षमता वाली मिट्टी इत्यादि के अनुसार डिजाईन की जाएगी तथा जांच की जाएगी।

(3) सहायता संरचना चकाचौंध रोकने के लिए अपरावर्तक परिष्कार की होगी।

(4) ओ.एम.डी संरचना भली–भान्ति अनुरक्षित होगी। ऐसे रंग से रंगी जाएगी जो आस–पड़ोस क्षेत्र से संगत हो, तथा उसको बढ़ाता हो।

(5) सरकारी सड़क फर्नीचर जैसे कि सरकारी चिह्नों तथा चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भों को ओ.एम.डी की सहायता संरचना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(6) ओ.एम.डी लाईसैंस धारक का नाम, लाईसैंस की संख्या/मीडिया साधन पहचान संख्या इत्यादि ओ.एम.डी पर सहजदृश्य स्थिति में रखी जाएगी जो नगर निगम द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।

5. विद्युत कनैक्शन

(1) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन सम्बन्धित भारतीय मानकों को पूरा करेंगे।

(2) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।

(3) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन आकस्मिक पछाड़ की घटना में सुरक्षित के रूप में डिजाईन किए जाएंगे।

(4) रजिस्टर्ड एजैंसी बिजली उपभोक्ता है तथा वह उसके अपने नाम से प्रदीप्त प्रदर्शन करने के लिए सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने के लिए विद्युत कनैक्शन हेतु आवेदन करेगी, जिसके लिए नगर निगम/सम्बन्धित भूमि स्वामित्व वाले कम्पनी स्वामी के अनुरोध पर अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया करेगी।

(5) विद्युत कनैक्शन तथा आपूर्ति के लिए कोई प्रभार प्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर्ड एजेंसी द्वारा उपगत किए जाएंगे। स्वीकृति/बिल व्यवस्था के लिए बिजली प्रदायक के पत्र की एक प्रति नगर निगम को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) विद्युत संस्थापना कार्य सम्बन्धित विधुत विनियम तथा लिखित नियमों तथा सम्बन्धित विधुत प्रदायक की अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीकल कर्मकार द्वारा किया जाएगा।

(7) उपयुक्त रोधन तथा संरक्षण उपकरण तथा प्रकिया या तो ओ.एम.डी या सड़क प्रकाश सर्किट संरक्षण अनुरक्षण तथा कार्यरत सेवा कार्मिक के संगत होगी। भूयोजन (अरथिंग) के लिए एक पृथक मिट्टी इलैक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, तथा सक्रिय तथा निशंवेशित चालक केवल आपूर्ति बिन्दु से आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(8) खाका योजना स्थान जहां से बिजली विभिन्न अन्य आनुषंगिक अपेक्षाओं की स्थिति सहित प्राप्त की जा रही है, दर्शाते हुए सरकारी प्राधिकरण को उसी क्षेत्र में पेशा करने वाले अर्हक विद्युत इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्रस्तुत की जाएगी।

(9) विद्युत ठेकेदार के जांच प्रमाण–पत्र की प्रति नगर निगम को मुहैया कराई जाएगी। स्वीचिंग यन्त्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित किस्म का होगा। बिजली घटक सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुसार होगा।

6. विविध

(1) आवाज, गन्ध इत्यादि द्वारा संचारण करने वाले ओ.एम.डी अनुमत नहीं हैं।

(2) किसी बाहरी विज्ञापन साधन की चित्रावली के लिए बिजली मुहैया कराने हेतु शोर, वायु या जल प्रदूषण करने वाला डीजल/पैट्रोल/मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलने वाला कोई भी जरनेटर अनुज्ञात नहीं होगा।

7. गैर–अनुज्ञेय बाहरी विज्ञापन की सूची

(1) लोक सम्पत्ति पर विज्ञापन चिपका कर लगाया जाना।

(2) बैनर।

(3) स्तम्भ/तोरण पर चिपकाने के रूप में विज्ञापन।

8. लोक परिवहन सेवा/ गली फर्नीचर पर ओ.एम.डी (प्रतिकात्मक व्याख्या 'क')

(1) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन विधुत (आई पी टी) आश्रय।

कम सख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	आश्रय की छत पर ओ.एम.डी	i. एक अग्र पैनल 9 x 0.3 ii. दोंनो तरफ पैनल 3 x 0.3
2.	आश्रय के ढ़ांचे पर ओ.एम.डी	i. सड़क के समानान्तर एक पिछला पैनल – 9 x 1.2 ii. एक खम्बे पर चिपकाया हुआ पिछला लिट पैनल – 1.8 x 1.2

(i) यात्री परिवहन आश्रय का अभिगम सिरा पंहुचने वाले यात्री परिवहन वाहन की अधिकतम दृश्यता सहित प्रतिक्षित यात्रियों को मुहैया कराने के लिए खुला रहेगा।

(2) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन (आई पी टी) मार्ग निशान।

कम सख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	मार्ग निशान के दोंनो तरफ की ओ.एम.डी स्थान	i. 1.2 x 2.0 (ठंचाई) 0.2 x 2.0 दोनों तरफ बस सम्बन्धित सूचना के लिए आरक्षित होगी।

(3) फुट ओवर सेतु के लिए विज्ञापन विनियमन मानदंडः

(i) सिर्फ पारदर्शी स्वरूप के विज्ञापन मार्ग की भितरी दीवार पर तथा मार्ग की उपरी सतह से 0.75 मीटर की उच्चतम उचाई तक ही अनुमत किए जाएंगे। सभी परिस्थितियों में, मार्ग पर होने वाली गतिविधियां हर दिशा से स्पष्ट रूप से जनता को दिखनी चाहिए ।

(ii) सड़क से दृश्य विज्ञापन, यातायात की दिशा से विपरित दिशा में फुट ओवर सेतु की तरफ पर अनुमत होगा।

(4) सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक तथा साईकिल स्टेशन

कम सख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	सतह पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	• ब्लॉक के कुल सतह क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत • शहर नक्शे/प्रतिवेश नक्शे/मार्ग नक्शे सहित कम से कम 1.8 x 1.2 का अतिरिक्त पिछे का लिट पैनल भी मुहैया कराया जाएगा
2.	• किसी भी मामले में ओ.एम.डी की उंचाई संरचना की मुंडेर (पैरापैट) से अधिक नहीं होगी। • सार्वजनिक शौचालय के मामले में जल भण्डारण टैंक उचित रूप से छिपाया जाएगा तथा जनता को दृश्य नहीं होगा।	

(5) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर–बूथ (अर्थात् पुलिस बूथ, टेलीफोन बूथ इत्यादि)

कम सं0	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकर (मीटरों में)
1.	सतह पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	• बूथ के तीनों तरफ के कुल सतह क्षेत्र का 70 प्रतिशत। • बूथ के पिछली तरफ ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। • बूथ के शीशे के सतह पर (प्रकाश तथा संवातन के लिए) ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(6) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर – बैठने के बैंच तथा कुड़ा कचरा घानी (बिन)

कम सं0	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	• नगर निगम द्वारा निश्चित कुल सतह क्षेत्र का .... प्रतिशत। • ओ.एम.डी केवल पैदल मार्ग के सामने होगा।

साधारण टिप्पण :–

(i) ओ.एम.डी पैनल अतिरिक्त प्रक्षेपित ब्रेकेट (बैठने के बैच तथा कूड़ा कचरा धानी के सिवाए) के बिना बैकलिट होगा।

(ii) अनिश्चित चित्र, निआन, परिवर्तनशील एल.ई.डी, चित्र कोलोर का बदलना, चमकीली लाईटें अनुमत नहीं है।

(iii) अधिमानतः बी.ओ.टी आधार पर विकसित किया जाना है, जहां विद्यमान अवसंरचना के लिए बी.ओ.टी सम्भव नहीं है, वहां सुख–सुविधा के रखरखाव के लिए विज्ञापन स्थल बोली से निकाल दिया जाएगा जोकि बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

(iv) ओ.एम.डी की स्थापना के लिए संरचना के संवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश के लिए कोई समझौता नही किया जाएगा।

(v) बस तथा आई पी टी आश्रय, शौचालय ब्लॉक, साईकिल स्टेशन, उपयोगिता बूथ तथा सार्वजनिक उपयोगिता बैठने के बैंचो के स्थानो को नगर निगम द्वारा पहचाना जाएगा।

(vi) ओ.एम.डी यानीय तथा पैदल यातायात के बहाव में काई बाधा नही करेगा।

9. लोक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी (प्रतोकात्मक व्याख्या 'ख')

(1) लोक परिवहन प्रणाली में, ओ.एम.डी गाड़ियों, स्टेशनों आश्रयों, फुटओवर पुलों तथा अन्य सम्पत्तियों (सडक के बीच तथा किनारे, संरचनात्मक खम्बों/स्तम्भों पर के सिवाए) पर अनुमत है।

(2) मैट्रों स्टेशन, आश्रयों, फुट ओवर सेतु तथा अन्य सम्पत्तियों पर ओ.एम.डी इस प्रकार लगाई जाएंगी कि वे सार्वजनिक सड़क पर यातायात की दिशा का सामना नहीं करती हो।

(3) ओ.एम.डी के अवस्थान को नगर निगम के अनुमोदन से लोक परिवहन प्रणाली चलाने वाले व्यक्ति, कम्पनी, बोर्ड या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पहचान की जाएगी। इनकी पहचान मामले से मामले के आधार पर की जाएगी।

(4) अनुज्ञात ओ.एम.डी, प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार उप–विधियो में कथित विशिष्टियों का पालन करेगी तथा सड़क सुरक्षा परामर्श में आशकत तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षित कराई जाएगी। किसी भी मामले में तीसरा पक्ष (या इसकी सिस्टर कम्पनी) विज्ञापन प्रदर्शन कारबार में आशवत नही होगा।

(5) यातायात रोक

ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
रोक के दोनो तरफ पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान।	• अधिकतम लम्बाई – 0.6 • अधिकतम ऊंचाई – 0.3

10. प्रतीकात्मक व्याख्या 'ग' तथा 'घ' ओ.एम.डी के लिए प्ररूपी विज्ञापन यन्त्र परिमाण (दीवार आवरण के सिवाए)।

किस्म	प्रतिमाप (मीटरो में)	टिप्पणी
मानक ओएमडी	4.6 X 3.05	चालकों की दृष्टि की ऊंचाई पर रखी जा सकती है जो किसी पैदल संचलन को भंग नहीं करेगी।
	6.1 X 3.05	चालक दृष्टि के प्रत्यक्ष क्षैतिज दृष्टि में नहीं आएगी। विज्ञापन पैनल का निचला भाग निकटवर्ती सड़क किनारे से कम से कम 3 मीटर अधिक होना चाहिए तथा आधार पोल सड़क किनारे से कम से कम 10 मीटर दूर होगा।
यूनिपोल तथा बड़े आकार का सूचना पट्ट	4.5 X 2.25 5.0 X 2.5	खड़ंजा सड़क किनारे से कम से कम आफसैट सहित कम से कम 45 मीटर आर ओ डब्ल्यू सहित सड़क से 10 मीटर।
	7.6 X 3.8	सड़क अन्तिम खड़ंजा सड़क किनारे बिना संकेत के चौराहों या गोलचक्करों के मोड़ से कम से कम 60 मीटर आर ओ डब्ल्यू से कम न हों। अग्रभाग (मुंह) तेज गति से चलाने वाली यातायात सड़क की ओर था पहुंच नियन्त्रित सड़क/उच्च मार्ग के साथ न हों।
	10.0 x 5.0	पूर्ण रूप से केवल पैदल तथा पार्किंग/बाजार क्षेत्रों में

(1) नगर निगम सुनिश्चित करेगा की पूर्वोकत आकार, शहर में अधिक सौन्दर्य लाने के लिए, बढाते हुए प्रयुक्त किए जाते है। रजिस्टर्ड हस्ती पूर्वोकत एक मानक परिमाण का प्रयोग करेगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां कोई निर्माण नही किया गया है या थोड़ा निर्माण किया गया है, तो केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट आकार के यूनिपोल तथा सूचना–पट्ट अनुमत किए जाएंगे।

(3) नगर निगम द्वारा स्वागत संकेत तथा सामाजिक संदेश देने के लिए ढ़ाचे केवल विभक्त परिवहन मार्ग सहित नगरपालिका सड़क पर ही अनुमत होंगे। प्रवर्तक ओ.एम.डी ढ़ांचे के दूसरी तरफ पर अर्थात् आने वाले यातायात की विपरित दिशा पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क तथा ढांचे की निम्नतम सतह के बीच स्पष्ट दूरी 8 मीटर से कम नहीं होगी।

(4) रिक्त ओ.एम.डी पर, सम्पूर्ण स्थान को कवर करने के लिए मोबाईल नम्बर अनुमन नही होंगे। मोबाईल नम्बर ओ.एम.डी के कुल स्थान के 1/10 वें भाग में दिए जाएंगे।

11. विज्ञापन परिसरों पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र।

(1) भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर विज्ञापन परिसरों (भवन तथा भूमि सहित) पर उपलब्ध अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र, सार्वजनिक गली/सड़क से दृश्य क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:–

क्रम संख्या	भवन की किस्म	कुल क्षेत्र का अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र (भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर)
1.	शापिंग माल, कारपोरेट आफिस, दुकान/शापिंग काम्पलैक्स	20 प्रतिशत
2.	स्वयं नियोजित कार्यालय अर्थात् स्वयं विज्ञापक (कार्यालय/दुकान संकेतक)	2 प्रतिशत

(i) दीवार आवरण, 75 प्रतिशत की पारदर्शिता सहित सामग्री वाले भवन में प्राकृतिक रोशनी (प्रकाश) अनुज्ञात करेंगे।

(ii) ओ.एम.डी की ऊँचाई, भवन की ऊँचाई के अनुसार प्रतिबन्धित है, जो निम्न अनुसार हैः–

क्रम संख्या	भवन की ऊँचाई	ओ.एम.डी की अधिकतम ऊँचाई
1.	तीन मंजिलों तक (15 मीटर तक)	8 मीटर
2.	चार से आठ मंजिल (15 से 36 मीटर)	12 मीटर
3.	आठ मंजिल से अधिक (36 मीटर से अधिक)	15 मीटर

परन्तु कोई खुलने वाला दरवाज़ा/खिड़की कवर नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन ईमारत के बुनियादी वास्तु खास, विशेषताएं (जैसे मेहराब, कॉलम, आलो, प्रक्षेप, आदि), मानक अगवाड़ा (प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) और आकार को खराब नहीं करेगा।

12. कार्यक्रमों के लिए ओ.एम.डी (वर्गीकरण 'घ')

(1) ये ओ.एम.डी केवल घटनाओं के लिए लगाई जांएगी, जैसे कि सम्मेलन, मनोरंजन घटनाएं, प्रदर्शनी इत्यादि तथा नगर निगम द्वारा केवल अस्थायी संरचना पर अनुमत होगी।

(2) ये ओ.एम.डी इस उप–विधि के किन्ही उप बन्धों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(3) ये ओ.एम.डी घटना के तीस दिन पहले लगाई जानी उनुमत होंगी तथा कार्यक्रम समाप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर हटानी होगी।

(4) **वर्गीकरण–घ.1** में वर्णित ओ.एम.डी से रजिस्ट्रेशन तथा फीस/प्रभावों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

(5) **वर्गीकरण– घ.2** में वर्णित ओ.एम.डी नगर निगम द्वारा यथा विनिश्चित फीस का भुगतान करेगी, किन्तु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से छूट प्राप्त नहीं है।

(6) उप–विधि के उप बन्ध के उल्लंघन तथा कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ओ.एम.डी न हटाने के लिए दण्ड प्रभार **वर्गीकरण–घ** में वर्णित सभी ओ.एम.डी पर लागू होंगे तथा नगर निगम द्वारा यथा विनिश्चित दैनिक आधार पर प्रभारित किए जाएंगे।

13. परिदृश्य विज्ञापन के लिए ओ.एम.डी (प्रतीकात्मक 'च')

(1) परिदृश्य ओ.एम.डी केवल तीन वर्ष से कम आयु तथा/या चार मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों को कवर करने के लिए वृक्ष रक्षक पर अनुमत है।

(2) वृक्ष रक्षक 1.2 से 1.5 मीटर सिरे तथा 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित वर्गाकार का होगा।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान रक्षक के प्रत्येक सिरे पर वर्गाकार प्लेट होगी।	• अधिकतम लम्बाई– रक्षक की चौडाई के बराबर • अधिकतम ऊँचाई–0.9 • ओ.एम.डी का निचला भाग भूमि से 0.3 मीटर ऊंचा होगा।

14. स्वयं विज्ञापन (प्रतीकात्मक व्याख्या 'छ')

(1) स्वयं विज्ञापन की विषय–वस्तु कार्यालय/ दुकान के स्वामी द्वारा केवल कार्यालय/दुकान संकेतक की सीमा तक अनुमत है। कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन स्वयं विज्ञापन पर/के साथ अनुमत नहीं होगा।

(2) स्वयं विज्ञापन भवन बोर्ड, दीवार आवरण के रूप में भवन के मुख/अग्रभाग के कुल क्षेत्र के केवल 2 प्रतिशत पर अनुमत है। यदि संपत्ति स्वामी कुल क्षेत्र के दो प्रतिशत से ज्यादा स्वंय विज्ञापन लगाता है, तो यह अनुबंध 5 में बताये गये वर्गीकरण के अर्न्तगत माने जायेंगे तथा उसके अनुसार ही लागू फीस/प्रभार लिये जाएंगे।

(3) दुकानों के मामले में, स्वयं विज्ञापन बोर्ड की ऊँचाई एक मीटर तक सीमित है तथा चौड़ाई भवन की चौड़ाई तक सीमित होगी, दुकान की सरदल ऊंचाई से ऊपर लगाई जाएगी। शापिंग काम्पलैक्स में, सभी दुकाने स्वयं विज्ञापन बोर्ड की स्पष्ट उंचाई में एकरूपता रखेंगी।

(4) स्वयं विज्ञापन बोर्ड भवन के अग्रभाग से 150 एम.एम. से बाहर निकला हुआ नहीं होगा।

(5) स्थिर छतरी (क्योस्क) या ठेले पर फेरीवाले द्वारा स्वयं विज्ञापन 3 मीटर x 1 मीटर के परिमाण सहित 3 वर्गमीटर तक सीमित है।

(6) रिक्शा के लिए स्वयं विज्ञापन रिक्शा के पीछे तथा दोनों तरफ के 1 मीटर x 0.5 मीटर पैनल सहित 1.5 वर्गमीटर तक सीमित है।

(7) भू–ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदलमार्ग पर अनुमत नहीं होगा।

(8) भू–ओ.एम.डी का आकार 2 मीटर x 1 मीटर आकार सहित 2 वर्गमीटर तक सीमित अधिकतम आकार सहित आर.ओ.डब्ल्यू से दूर प्रत्येक मीटर की दूरी के लिए 0.3 वर्गमीटर होगा।

(9) पेट्रोल पंपों पर, तेल कंपनियों और वितरकों के बीच अनुबंध समझौते के अनुसार, तेल कंपनियों के उत्पाद या सार्वजनिक संदेश के केवल स्वयं विज्ञापन की अनुमति है। तृतीय पक्ष वाणिज्यिक विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

15. नवाचार ओ.एम.डी (प्रतीकात्मक व्याख्या 'ज')

(1) नवीनतम ओ.एम.डी जैसे कि एल ई डी, एल सी डी, फुलाने योग्य या गैस गुब्बारे तथा अन्य ऐसे मीडिया के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।

(2) यह अनुमोदन विनिदिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा **उप–विधि 6** के अनुसार होगा।

(3) चालन करते समय चालक पहली दृष्टि में सड़क से चिह्न की विषय–वस्तु को पढ़ेगा, तथा फिर वापस सड़क पर देखेगा। एल ई डी चिह्न (रंग परिवर्तन के बिना) भवन आकृति (अग्रभाग) पर विज्ञापन के स्वीकार्य फारमैट में है चूंकि ये विशिष्ट ब्राण्ड नामों का निरूपण करने के लिए अनुमानित है तथा उच्च दृश्य सूचना वाले नहीं होते हैं।

(4) एल सी डी/एल ई डी स्क्रीन जो विशिष्ट रूप से लेखा–चित्रकला तथा दृश्य प्रतिकृति की हैं, वे मार्किट क्षेत्रों, पार्किंग स्थानों, पार्कों, भ्रमण मार्ग, मुख्यतः यातायात के यानीय संचलन के सामने न हों, में प्रतिबन्धित होंगी।

(5) इसके अतिरिक्त, वाई–फाई होटस्पोट, मोबाईल टैलीफोनी ऐनटिना/ टावरों के वितरण के लिए ओ.एम.डी का प्रयोग विशेष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुमत होगा।

(6) पूर्वोक्त के अतिरिक्त, अन्य मानदण्ड निम्नलिखित होगें:–

(i) प्रदर्शन के भीतर संचलन की प्रायिकता तथा प्रसार तथा रंग परिवर्तन।

(ii) ओ.एम.डी केवल वहां लगाए जाएंगे जहां अपेक्षित चिह्न दृश्यता समय विशेष परिसर के लिए सुरक्षा समस्या का परिणाम न हो।

(iii) चिह्न पढने के लिए पर्याप्त अग्रिम दृश्यता हो।

(iv) परिसर चालक निर्णय बिन्दुओं से मुक्त हो तथा वहां सरकारी यातायात चिह्न में कोई होड़ न हो।

(v) साधन कोई गतिमान ओ.एम.डी न हो।

(vi) लम्बी अवधि प्रदर्शन मीयाद चालक घबराहट को कम करने तथा गतिविधि को समझने की मात्रा को कम करने का उद्देश्य अधिमत है। प्रत्येक स्क्रीन, कम से कम 8 सैकेण्ड की प्रदर्शन अवधि की होगी। परिवर्तन करने के लिए क्रमिक प्रदर्शन हेतु लिया गया समय 0.1 सैकेण्ड में होना चाहिए।

(vii) सम्पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन तत्काल प्रतिवर्तित होगा। प्रदर्शन परिवर्तन का ढ़ंग जैसे कि ''फ्लाई ईन'' या ''स्क्रोल'', या सन्देश परिवर्तन की कोई अन्य किस्म अनुशंसित नहीं की गई हैं।

(viii) क्रमिक संदेश सेट अनुज्ञात नहीं है :

(ix) समय सीमा समय–समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।

(7) गैस गुब्बारे या फुलानेयोग्य ओ.एम.डी के लिए अनुमति निम्नलिखित मानदण्डों पर दी जाएगी, अर्थात्:

(i) गैस गुब्बारे ओ.एम.डी खुले क्षेत्रों में तथा स्थिर स्थिरक सहित भूमि के साथ लगाए तथा लटकाएं जाएंगे।

(ii) इनकी अग्नि सुरक्षा के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन अधिकारी से ली जाएगी।

(iii) गैंस गुब्बारे ओ.एम.डी बहुत उंचे उठे हुए भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों के निकट तथा निकटतम भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों से इनकी दूरी गैस गुब्बारे की कुल उंचाई से डेढ गुणा (1.5 गुणा) होगी।

(iv) फुलाने योग्य ओ.एम.डी हवा से ही फुलाए जाएंगे (किसी प्रकार की गैस की अनुमति नहीं है)

(8) पॉलिसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खुली होगी बशर्ते कि वे किसी सामान्य अनुमति मानदण्ड के उल्लंधन में न हों, तथा नगर निगम द्वारा भी अनुमोदित होंगी। किसी ऐसे माध्यम को लागू करने से पूर्व नगर निगम से अनुमति ली जाएगी।

16. अनुमति मानदण्ड

(1) सभी परिसरों में ओ.एम.डी/कारबार/व्यापार चिह्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा संस्थागत क्षेत्रों के भीतर प्राधिकृत कारबार/व्यापार स्थापनाओं में प्रतिबन्धित होंगे।

(2) ओ.एम.डी–आवासीय क्षेत्रों में अनुमत नहीं है तथापि, आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक घटक (अर्थात् आस–पड़ोस का बाजार स्थान) में ओ.एम.डी अनुमत हैं। ओ.एम.डी पूर्ण रूप से केवल बाजार के अग्रभाग में होगी तथा किसी भी परिस्थिति में आवासीय क्षेत्र के अग्रभाग में नहीं होगी।

(3) परिसर में प्रदीप्त ओ.एम.डी कम से कम 12 मीटर चौड़ाई सहित गली में आवासीय क्षेत्रों के सामने दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनुमत नहीं हैं।

(4) ओ.एम.डी किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाई जाएगी।

(5) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री किसी समर्थित कालम, स्तम्भ या खम्भे पर नहीं चिपकाई जाएगी।

(6) परिसर में ओ.एम.डी किसी भी रूप में किसी पैदल संचलन (अनुलम्ब रूप से तथा पार्श्व रूप से), अग्नि बचाव, दरवाजा तथा खिड़की खोलने में बाधा नहीं डालेगा।

(7) परिसर में ओ.एम.डी किसी भी रूप या रीति में प्रकाश तथा संवातन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा।

(8) किन्हीं भी परिस्थितियों में परिसर में ओ.एम.डी बाधा डालने या किसी पारदर्शी/पारभासी सतहों/द्वार के सामने की रूपरेखा बदलने के लिए स्थान निर्धारित अवस्थित नहीं किया जाएगा।

(9) गैर–प्रदीप्त पारदर्शी/पारभासी चिह्न किसी भी स्तर पर पारदर्शी/पारभासी बाहरी सतहों पर अनुमत किया जाएगा।

(10) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा परिवहन/निकास स्थान तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।

(11) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी किसी भी परिस्थिति में परिसरों के भीतर की गई गतिविधि/गतिविधियों से भिन्न उनकों प्रतिबिम्बित नहीं होगी।

(12) कोई भी ओ.एम.डी अतिरिक्त विज्ञापन–स्थल पर उपबन्धित, बेची गई या उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं को ध्यान में रखे बिना परिसरों या स्थल के उपयोग के अनुमोदन से भिन्न उत्पाद या सेवा को उन्नत करने वाला नहीं होगा।

(13) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में निम्न अनुसार अपेक्षित अनिवार्य सूचना होनी चाहिए:

(i). व्यापार तथा कारबार का नाम

(ii). दुकान/परिसर संख्या

(14) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी औचित्य, मर्यादा, सामाजिक मैत्री इत्यादि के बारे में प्रचलित विधियों के अनुरूप होगा।

(15) सभी ओ.एम.डी दृश्य रूप से रूचिकर होगा तथा डिजाईन विशेषता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा।

(16) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी सतह/इमारत/भवन/खुले क्षेत्रों के संरचनात्मक/वास्तुशिल्पीय अनुशासन के सदृश होगा।

(17) किसी चिह्न का माप तथा अवस्थिति न केवल भवन जिसमें यह चिपकाया गया है, के अनुकूल होगा बल्कि निकटतम भवनों, गलियों तथा विद्यमान चिह्नों को भी विचार में लिया जाएगा।

(18) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में प्रयुक्त सामग्री गैर–प्रदूषण, अग्नि विरोधी तथा हानि प्रूफ होनी चाहिए।

(19) कोई नया चिह्न मीडिया साधन यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन, स्थल या संलग्न गली स्केप पर विद्यमान चिह्न का विचार करेगा कि चिह्न दृश्य तथा/या भौतिक घाल–मेल को बढने नहीं देता है।

(20) केबिल तथा नाली को चिह्न के दर्शन से तथा सभी कोणों से किसी सहायता संरचना को छिपाना होगा जिसमें गली स्तर तथा निकटतम उच्चतर भवन से तथा रूपरेखा (क्षितिज) के विरूद्ध दृश्यता शामिल है।

(21) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन कोई भी चिह्न किसी अन्य चिह्न से समर्थित, लटका हुआ नहीं होगा या रखा नहीं जाएगा। प्रत्येक चिह्न स्वतः समर्थित या वास्तुशिल्पीय संरचना से सुरक्षित रूप से आबद्ध (फिक्सड) होगा।

(22) भवन की छत पर रंगे हुए या लगाए गए चिह्न अनुमत नहीं है। छत पर छत से निर्मित तथा/या लटकते हुए चिह्न भी अनुमत नहीं है।

(23) भवन की उपरी छत पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(24) किसी भी परिस्थिति में भवन सतर पर ओ.एम.डी भवन की चौड़ाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा।

(25) यातायात संकेत के उपरी सिरे, भूमि पर तैयार यातायात संकेत, उपरी यातायात संकेत, तथा भूमि पर तैयार यातायात संकेतों पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(26) ओ.एम.डी टैलीफोन/बिजली खम्बों/ट्रांसफार्मरों/उच्च संचारण लाईन टावरों पर अनुमत नहीं है।

(27) ओ.एम.डी सड़क कार्यस्थल के निर्माणजोन के 100 मीटर के भीतर लगाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां निर्माण चल रहा है।

(28) चिह्न सूचना कम से कम सौन्दर्य तथा यातायात सुरक्षा दोनों के हित में रखी जाएगी।

(i) जहां अधीनस्थ सूचना अनुज्ञात की गई है, वहां कारबार का नाम या उपयोग चिह्न पर प्रमुख संदेश होगा – कोई भी अनुपूरक (जैसा कि बाईलाइन, उत्पाद विशिष्टियों, विक्रय प्रस्तावों में) तथा अधीनस्थ सूचना (पते, टैलीफोन नम्बर तथा अन्य ऐसे ब्योरे) जिस पर यानीय खिंचाव के साथ चालकों का ध्यान जाता है, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जैसा कि वे यातायात खतरा पेश करते हैं।

(ii) चिह्न अपरावर्तक होंगे जैसे कि वे मार्ग में चालकों पर चौंध न डालते तथा चकाचौंध न करते हों। चिह्नों में शीशा पर्ण इत्यादि के रूप में परावर्तक सतह का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसा कि ऐसी सामग्री का प्रयोग यातायात में दृष्टि रूप से विघटनकारी है तथा आने वाले चालकों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

(iii) सभी अनुमत चिह्न भुगतानयोग्य उद्ग्रहण को आर्कषित करेंगे जो नगर निगम द्वारा रेखाचित्रित हैं।

(29) किसी भी मामले में, ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदल मार्ग पर नहीं डाला जाएगा।

(30) जहां ये उप–विधियां मौन (निष्क्रिय) हैं, वहां आई.आर.सी–46–1972 में बताए गए उपबन्ध "सड़क किनारे विज्ञापन पर पॉलिसी" निर्दिष्ट की जाएगी।

17. "अभिस्वीकृति ओ.एम.डी

(1) अभिस्वीकृति ओ.एम.डी में सम्पर्क सूचना, निदेशन, नारे, टैलीफोन नम्बर या इन्दरनेट पते नहीं होंगे। इसमें अभिस्वीकृति ओ.एम.डी पर रखे गए उनके स्वीकृति लोगो (शब्द) होंगे। स्वीकृति लोगो (शब्द) नीचे विर्निदिष्ट कुल ओ.एम.डी सतह क्षेत्र के एक तिहाई से कम होगी।

(2) हरितलान, भू–दृश्य द्वीप, पैदल/ साइकलिस्ट मार्ग तथा केन्द्रीय मध्यम पर स्वीकृति ओ.एम.डी 0.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्लेट तक प्रतिबन्धित होंगे तथा उनका स्थान 50 किलोमीटर/घण्टा से कम गति सहित सड़क पर 15 मीटर से कम नहीं होगा। यदि यह गोलचक्कर पर है तो स्थापित परिधि लम्बाई के साथ अंतरालन लिया जाएगा तथा 800 एम.एम. तथा 250 एम.एम का मानक परिमाप बोर्ड लगाया जाएगा/लगाया गया संकेत किसी दिशा स्तमक/विशाखन/चेतावनी संकेत को देखने में बाधा नहीं डालेगा। ऐसे संकेतक अभिस्वीकृति संकेतों के रूप में अर्हक हैं तथा केवल प्रवर्तक की स्वीकृति वाले होंगे तथा कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन अनुमतन हीं होगा।

(3) स्वीकृति संकेत यातायात संकेतों सहित किसी अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्र के सामने या पीछे, के निकटवर्ती या निकट सामीप्य में नहीं लगाए जाएंगे। संकेत निर्णय बिन्दुओं पर जहां सड़क उपयोग करने वालों का ध्यान अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्रों, सड़क मार्ग ज्यामिति, या यातायात स्थिति जिसमें निकास तथा प्रवेश रैम्प, चौराहे, राजमार्ग–रेल ग्रेड क्रासिंग, टोल प्लाजा, अस्थाई यातायात नियंत्रण जोन तथा सीमित दृष्टि दूरी के क्षेत्र शामिल है, अधिक उचित रूप से संकेन्द्रित करता है।स्वीकृति संकेतों के बीच न्यूनतम अंतरालन 50 किलोमीटर/घण्टा से कम गति सहित किसी सड़क पर 25 एम से कम नहीं होगी।

18. शामियाना ओ.एम.डी (भवन से प्रक्षेपित छतरी से लटका) उंचाई में दो मीटर से अधिक नहीं होगा तथा इसका निचला भाग फुटपाथ से 2.5 मीटर ऊपर होगा।

आनंद मोहन शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।